परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
		क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2007		
अप्रैल	3	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि नामित बैंकों को स्वर्ण (धातु) ऋण, जिसकी अवधि उन्होंने ऐसे घरेलू आभूषण निर्माताओं के लिए लागू की थी जो आभूषण निर्यातक नहीं थे, के संबंध में अवधि का निर्णय उन्हें स्वयं करने की अनुमति दी जाए बशर्ते यह अवधि 180 दिनों से अधिक न हो और स्वर्ण ऋण की अवधि और इसके अंतिम उपयोग की निगरानी संबंधी बैंक की नीति को बैंक की ऋण नीति में प्रलेखबद्ध किया गया हो और इसका कड़ाई से पालन किया गया हो।
	4	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है दो चरणों में कि 14 अप्रैल 2007 और 28 अप्रैल 2007 के पखवाड़े की शुरूआत से आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) 50 आधार अंक बढ़ाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं का क्रमशः 6.25 प्रतिशत और 6.50 प्रतिशत किया जाए। तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं पर प्रभावी सीआरआर 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में विनिर्दिष्ट किया गया है। 14 अप्रैल 2007 के पखवाड़े की शुरुआत से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) आवश्यकता के तहत रिजर्व बैंक के पास रखे पात्र नकद शेष पर 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने 16 जून 2006 को लघु, छोटे और मझौले उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया। विनिर्माण या उत्पादन तथा सेवाएं प्रदान करने में शामिल लघु, छोटे और मझौले उपक्रम की परिभाषा में आशोधन किया गया और बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे अन्य नीतिगत उपायों सहित तत्काल प्रभाव से इसे कार्यान्वित करें। बैंकों द्वारा मझौले उपक्रमों को दिए गए ऋणों की गणना प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में नहीं की जाएगी।
	5	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे सामान्यतः जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति से नामन करने के लिए जोर दें। उन्हें यह भी सूचित गया कि यदि वह व्यक्ति ऐसा करने का अनिच्छुक हो तो उसे नामन सुविधा के लाभों से अवगत कराएं। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति फिर भी नामन नहीं करना चाहे और इस आशय का पत्र देने से इन्कार करे तो बैंक को चाहिए कि वह इस तथ्य को खाता खोलने के फार्म पर रिकार्ड करे और यदि उसे अन्यथा पात्र पाया जाए तो खाता खोलने की कार्रवाई आगे बढ़ाए । बैंक किसी भी परिस्थिति में मात्र इस आधार पर खाता खोलने से इंकार नहीं कर सकता कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामन करने से इंकार कर दिया है । इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत 13 अप्रैल 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए । • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को खराब गुणवत्ता के कारण भारत में पुनःआयात की गई वस्तुओं के संबंध में, कतिपय शर्तों के अधीन निर्यात प्राप्तियों की वापसी की अनुमति दी गई।
	10	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे वर्ष 2006-07 के प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाइ) कार्यक्रम के तहत मंजूर मामलों का संवितरण 30 जून 2007 तक पूरा करें।
	11	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि ग्राहकों द्वारा दिए गए एक रुपए के अंश वाले चेक/ड्राफ्ट अस्वीकार/अनादरित न किए जाएं।
	12	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि उनके द्वारा वित्तपोषित बुनियादी संरचना परियोजनाओं के पूर्ण होने की तारीख परियोजना के वित्तीय रूप से बंद होने के समय स्पष्ट रूप से उल्लेख की जानी चाहिए और यदि परियोजना के पूरी होने की तारीख के एक वर्ष की अवधि के आगे, जैसा कि परियोजना में मूल रूप से परिकल्पना की गई थी, वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने की तारीख बढ़ाई जाए तो ऐसे खातों को अवमानक खाते के रूप में माना जाना चाहिए। ये संशोधित अनुदेश 31 मार्च 2007 से लागू हुए हैं। • 180 दिन की प्री-शिपमेंट रुपए निर्यात क्रेडिट पर बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत कम पर निर्धारित ब्याज दर की उच्चतम सीमा और 90 दिन की पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट की अवधि 31 अक्तूबर 2007 तक बढ़ाई गई।
	13	• अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनाशोधन निवारण मानकों/सीएफटी - वायर ट्रान्सफर से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए। इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत 21 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए।
	17	• लोक सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफारिशों के आधार पर लॉकरों के उपयोग में सुगमता लाने के प्रयोजन से सुरक्षित जमा लॉकरों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में नए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए।
	18	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि एएस-17 के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से 'अन्य बैंकिंग कारोबार' खंड को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए : कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालन। तदनुसार, बैंकों के लिए यह अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2008 से लोक रिपोर्टिंग प्रयोजन हेतु निम्नलिखित कारोबार खंडों को अपनाएं क) खजाना; ख) कारपोरेट/थोक बैंकिंग; ग) खुदरा बैंकिंग और घ) अन्य बैंकिंग कारोबार । भौगोलिक खंड 'घरेलू' और 'अंतर्राष्ट्रीय' खंड के रूप में अपरिवर्तित बने रहेंगे।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अप्रैल	20	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को डेरिवेटिव पर व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। किसी डेरिवेटिव के लेनदेन के लिए विनियामक दृष्टि से प्रमुख आवश्यकताएं निर्धारित की गईं। इन दिशानिर्देशों में रुपया ब्याज दर डेरिवेटिवों से संबंधित वर्तमान अनुदेश भी शामिल थे जबकि विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव से संबंधित दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) में अनुपालन कार्य से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश छः महीने के भीतर कार्यान्वित करने हेतु जारी किए गए। बैंकों को सूचित किया गया कि चूंकि बैंकों के कॉरपोरेट संरचना ढांचे में बैंकों में अनुपालन कार्य महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, अतः इसे ठीक तरह से किया जाना चाहिए और इसे पर्याप्त रूप से सक्षम और स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते के प्रारूप को देखें जो निवेश के पुर्नमूल्यांकन की हानि का लेखांकन दर्शाता है। इस प्रकार के लेखांकन में एकरूपता लाने की दृष्टि से, उन्हें सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2007 के वर्ष के अंत सहित अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देते समय सही लेखा प्रक्रिया अपनाएं। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि उन्हें 1 अप्रैल 2007 से (i) भारत में बैंकिंग प्रणाली की देयताएं जैसाकि जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 (1) में उल्लिखित खंड (घ) में निर्दिष्ट किया गया है; (ii) एसीयू (अमरीकी डालर) खातों में क्रेडिट बैलेंस; (iii) सीबीआरएल के साथ संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता के तहत लेनदेन (iv) और उनके ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों (ओबीयू) के परिप्रेक्ष्य में मांग और मीयादी देयताओं पर औसत आरक्षित नकदी अनुपात बनाए रखने से छूट दी गई।
	24	• सभी अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा खातों (एफसीएनआर(बी)) और अनिवासी बाह्य रूपया खातों (एनआर(ई)आरए) पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में 50 आधार अंकों की कटौती की गई।
	25	• सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बैंक की कोई भी शाखा/स्टाफ कम मूल्यवर्ग के नोटों और/या सिक्कों को स्वीकार करने से इन्कार न करे। उन्हें सूचित किया गया कि किसी भी स्टाफ सदस्यों द्वारा इंकार किए जाने/अननुपालन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह के दिशानिर्देश 10 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए ।
	27	• पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन से संबंधित विवेकशील दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु अंतिम रूप दिया गया। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे 103 अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में (जहां कम से कम 25 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक है) अल्पसंख्यकों को होनेवाले ऋण प्रवाह की निगरानी करें।
	30	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को सूचित किया गया कि वे छोटे और सीमांत कृषकों, बटाई पर खेती करने वाले और इसी प्रकार के अन्य लोगों को 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों हेतु 'कोई देय नहीं' प्रमाणपत्र की अपेक्षा को तत्काल समाप्त करें और उसकी जगह उधारकर्ता से एक स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करें। इसके अलावा, बैंक भूमिहीन श्रमिकों, बटाई पर खेती करनेवाले किसानों और मौखिक रूप से पट्टा लेने वाले लोगों को ऋण देने के मामलों में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा फसलों की खेती करने के संबंध में दिये जानेवाले प्रमाणपत्रों को स्वीकार कर सकते हैं। • सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों को ईसीएस/ईएफटी सुविधाओं के जरिए सरकारी लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने हेतु एक समुचित वातावरण और सुविधा उपलब्ध कराएं। • प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए। • चुनिंदा बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि जमाराशि की परिपक्वता के पहले जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और नामिती/कानूनी वारिस बैंक के पास जमा खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता है, तब वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), 2004 के तहत नामिती/कानूनी वारिस जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से खाता के बंद होने की तारीख तक की अवधि के लिए बचत खाता ब्याज दर के लाभ के लिए हकदार होगा।
मई	3	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि निवासीय आवास संपत्तियों को बंधक रखकर व्यक्तियों को 20 लाख रुपए तक दिए जानेवाले आवास ऋण के संबंध में जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार, बंधक समर्थित प्रतिभूतियों, जो आवास ऋणों द्वारा समर्थित हैं और ये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी की गई हैं, में बैंकों के निवेश हेतु जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। चूक के अनुभवों और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए घटाये गये इन जोखिम भारों की एक वर्ष पश्चात समीक्षा की जाएगी। • विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन स्वास्थ्य और पशु बीमा सहित सभी प्रकार के बीमा उत्पादों के वितरण हेतु बिना किसी जोखिम सहभागिता के कारपोरेट एजेन्सी बिजनेस प्रारंभ करने की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी गई।
	7	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर प्रॉसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित अति ब्याज न लगाया जाए। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 15 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	7	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के अपने प्रयासों को बढ़ाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विकसित किए जानेवाले साफ्टवेयरों (सोल्यूशनों) में उच्च सुरक्षा हो, लेखा-परीक्षणीय हों और विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गई विभिन्न प्रणालियों के बीच परस्पर-परिचालनीयता की अनुमति देनेवाले व्यापक रूप से स्वीकार्य खुले मानकों का अनुसरण करते हों। इसी प्रकार के दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 21 मई 2007 को जारी किए गए।
	8	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों को सूचित किया गया कि एसएलआर प्रतिभूतियों में उनके निवेश के संबंध में बाजार से बाजार मानदंड से छूट की अवधि एक और वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2007-08 तक बढ़ा दी गई है । तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए एचटीएम के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के समूचे संविभाग को प्रीमीयम, यदि शेष प्रतिभूतियों पर कोई हो तो, के बही मूल्य और परिशोधन के मूल्यांकन सहित वर्गीकृत कर सकते हैं ।
	10	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक) को मौजूदा विवेकसम्मत सीमाओं के अंदर और कुछ अतिरिक्त सावधानियों के साथ अनुमति दी गई कि वे भारतीय कंपनियों की विदेश में कार्यरत सहायक कंपनियों (जहां भारतीय कंपनी की शेयर धारिता 51 प्रतिशत से अधिक है) की पूर्ण स्वाधिकृत अनुसहायक (स्टेप डाउन) कंपनी को निधियत और/या अनिधीयित ऋण सुविधाएं दे सकते हैं।
	14	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 'डिफॉल्टेड कंपनी' के रूप में घोषित किसी कंपनी के मौद्रिक लेनदेन की अनुमति उनके बैंकों में नहीं दी जाएगी। तदनुसार, इस संबंध में तत्काल सभी शाखाओं को सूचित किया जाए और इसके अनुपालन की जानकारी दी जाए।
	16	• अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि तीन वर्ष के भीतर पूरी वसूली के अधीन अनुमानित नकद प्रवाह का कम से कम 10 प्रतिशत पहले वर्ष में वसूला जाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम से कम 5 प्रतिशत वसूला जाना चाहिए।
	17	• ञ्भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड' को 1 अप्रैल 2007 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया।
	21	• एजेंसी आयोग - लोक भविष्य निधि योजना 1968 (पीपीएफ) और एससीएसएस, 2004 जारी किए गए।
	24	• बैंकिंग लोकपाल (ऑम्ब्युड्समैन) योजना, 2006 में संशोधन किया गया और रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निदेश दिया गया कि संशोधित बैंकिंग ऑम्ब्युड्समैन योजना 2006 का अनुपालन करें। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुमति दी गई कि वे (i) काउंटर पर प्राप्त चेक या फोन बैंकिंग/ इंटरनेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित सुगम चैनल के जरिए अनुरोध प्राप्त होने पर एकल ग्राहकों को भी (कॉरपोरेट ग्राहक/सहकारी विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आदि के अलावा) उनके दरवाजे तक नकद/ड्राफ्ट सुपुर्द करें (ii) तकनॉलजी और सुरक्षा मानक जिसमें विशेष रूप से अधिकृत उपयोगकर्ता और ऐसे लेन देन से संबंधित पर्याप्त सुरक्षा/सावधानी वाले मानदंड शामिल हों, के अधीन कॉरपोरेट ग्राहक/सरकारी विभाग पीएसयू आदि से काउंटर पर चेक प्राप्त होने या फोन बैंकिंग /इंटरनेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित सुगम चैनल के जरिए अनुरोध प्राप्त होने पर उनके दरवाजे तक उन्हें नकद/ड्राफ्ट सुपुर्द करें।
	25	• सभी अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि जम्मू और कश्मीर के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी जानेवाली छूटों/क्रेडिट में ढील एक वर्ष और अर्थात् 31 मार्च 2008 तक जारी रहेगी। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे बीपीओ कंपनियों को उनके विदेश स्थित साइटों पर आयात करके लगाये जानेवाले उपकरणों की लागत के संबंध में राशि प्रेषित करने की अनुमति दे सकते हैं
	29	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वर्ष 2007-08 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाइ) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 3,75,690 का लक्ष्य आबंटित किया गया है।
	31	• चुनिंदा बैंकों को सूचित किया गया कि 1 जून 2007 से बचत (कर योग्य) बांड, 2003 पर वित्तीय वर्ष के दौरान 10,000 रुपए से अधिक देय ब्याज पर स्रोत पर 8 प्रतिशत कर कटौती की जानी अपेक्षित है। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को घरेलू लेनदेनों (चुनिंदा धातुओं) की पण्य हेजिंग तथा घरेलू खरीदारियों- एविएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) के लिए पण्य हेजिंग के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
जून	6	• सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक की सहयोगी बैंकों को सूचित किया गया कि वर्ष 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वैधानिक केंद्रीय और शाखा लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक में संशोधन किया गया।
	8	• चुनिंदा बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार ने शर्तों के अधीन जमाकर्ताओं (एससीएसएस 2004 के तहत) द्वारा खोले गए बहुल खातों के विनियमन की अनुमति दी है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जून	13	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआइ) के अंतर्गत ऋणों की सीमा प्रति हिताधिकारी 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और इसी योजना के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई।
	15	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक कवर न किये गये जिलों में शाखाएं खोलने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए अधिकार प्राप्त संबंधित समिति को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए निर्दिष्ट कतिपय शर्तों के संबंध में विवेकाधिकार दिये गये।
	19	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को कारोबार के ज्यादा रास्ते और अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस शर्त के अधीन कि वित्तपोषित की जानेवाली परियोजना संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र में है और इस परियोजना के लिए मार्गदर्शन और मूल्यांकन उनके प्रायोजक बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे अपने प्रायोजक बैंकों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के साथ मिलकर वर्तमान एक्सपोजर सीमाओं के भीतर संघीय उधार देने के कार्य में भाग ले सकते हैं।
	21	• बैंकों द्वारा बकायों को पुर्नव्यवस्थित/पुनर्निर्धारित करने पर विवेशील मानदंडों पर ड्राफ्ट गाइडलाइन सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए।
	22	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विशेष रूप से अपने बैक ऑफिस कार्यों तथा बैंकिंग कारोबार के अन्य प्रासंगिक कार्यों हेतु सेवा शाखाएं/केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र / बैंक कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी।
	26	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) को दबाव क्षमता से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए)
	28	• केंद्रीय बजट 2007-08 में की गई घोषणानुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई। रुपए में अनिवासी (सामान्य/बाह्य) खाते खोलने/रखने के प्राधिकार हेतु निर्दिष्ट पात्रता मानदंड की भी समीक्षा की गई। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को पेंशन निधि प्रबंधकों हेतु पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंड तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इस प्रयोजन हेतु गठित अपनी सहायक संस्थाओं के माध्यम से पेंशन निधि प्रबंध (पीएफएम) का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। पीएफएम का कार्य करने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे कारोबार में प्रवेश करने से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करें।
जुलाई	3	• क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की शिकायतों और दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी के मद्देनजर ट्राई ने अवांछित वाणिज्य प्रसार (यूसीसी) को रोकने के लिए टेलीकॉम अनसॉलिसिटेड कॉमर्शिएल कम्यूनिकेशन रेग्यूलेशन 2007 निर्दिष्ट किए। तदनुसार, वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) को कुछ अनुदेशों का पालन करने के लिए सूचित किया गया।
	11	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि सरकार ने 1 मई 2007 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने का निर्णय लिया है। समझौते के तहत सरकार चीनी विकास निधि से 378 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करेगी और चीनी के वर्तमान भंडार से बफर स्टॉक बनाने के परिणामस्वरूप आए मार्जिन को पूरा करने के लिए बैंकों को 420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सीमा मंजूर करनी होगी।
	13	• सभी अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) को सूचित किया गया कि सरकार ने निर्यातकों की विशिष्ट श्रेणियों वस्त्र (हैडलूम सहित), आरएमजी, चमड़ा उत्पाद, हस्तशिल्प, इंजीनियरी उत्पाद, प्रसंस्करित कृषि उत्पाद, मैरीन उत्पाद, खेल सामान तथा खिलौने और एसएमई क्षेत्र के सभी निर्यातकों को दिए गए रुपए निर्यात क्रेडिट के परिप्रेक्ष्य में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है।
	16	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि सरकार ने अल्पसंख्यक केंद्रित जिलों की सूची में 18 जिले जोड़े हैं और कुल संख्या 121 हो गई है। बैंकों को विशेष रूप से इन 121 जिलों में अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह की निगरानी सुनिश्चित करनी है और तदनुसार यह भी सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की समग्र सीमा के भीतर अल्पसंख्य समुदाय को ऋण का समान भाग प्राप्त हो।
	25	• सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों को 2006-07 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कर लेखा परीक्षा के शुल्क के बारे में सूचित किया गया।
	31	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) को सूचित किया गया कि सेबी ने कॉरपोरेट बांडों के लिए फिम्डा को अपना रिपोर्टिंग प्लेटफार्म बनाने की अनुमति दी है। बीएसई और एनएसई सहित इसके प्लेटफार्म पर उचित कीमत जोड़ के साथ रिपोर्ट किए जाने वाले सौदों का समग्र करना आवश्यक बनाया गया। बैंकों से अपेक्षित था कि वे 1 सितंबर 2007 से ओटीसी बाजार के कॉरपोरेट बांड के अपने द्वितीयक बाजार लेन देन की जानकारी फिम्डा के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर दें।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
जुलाई	31	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) को सूचित किया गया कि 6 अगस्त 2007 से चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत दैनिक रिवर्स रिपो की 3000 रुपए की उच्चतम सीमा हटा दी गयी है। 28 नवंबर 2005 को शुरू एसएलएएफ जो दैनिक आधार पर अपराह्न 3.00-3.45 बजे किया जाता था, 6 अगस्त 2007 से हटा लिया गया। रिज़र्व बैंक एक एकल चलनिधि समायोजन सुविधा विंडो के रूप में पूर्वाह्न 9.30-10.30 तक एलएएफ का प्रचालन जारी रखेगा। • सभी अनुसूचित बैंकों को सूचित किया गया कि 4 अगस्त 2007 के पखवाड़े से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया।
अगस्त	3	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि (i) ऐसे मामलों में जहां साख-पत्र (एलसी) के अधीन आहरित बिलों का पराक्रामण किसी एक खास बैंक तक ही सीमित है और साख-पत्र का हिताधिकारी उस बैंक का ग्राहक नहीं है, तब संबंधित बैंक इस शर्त के अधीन ऐसे साख-पत्र को परक्रामित कर सकता है कि यह प्रक्रिया आगम हिताधिकारी के नियमित बैंकर को विप्रेषित की जाएगी। तथापि, ग्राहकेतर लोगों के अप्रतिबंधित साख-पत्र के परक्रामण के संबंध में प्रतिबंध लागू रहेगा और (ii) बैंक 'दायित्व-सहित' या 'दायित्व-रहित' आधार पर साख-पत्रों के अंतर्गत आहरित बिलों को अपने विवेकानुसार तथा साख-पत्र जारीकर्ता बैंक की ऋण पात्रता के बारे में अपने बोध के आधार पर परक्रामण कर सकते हैं। तथापि, अन्य बिलों (साख-पत्र के अंतर्गत आहरित बिलों के अलावा अन्यथा आहरित बिल) की खरीद/बट्टे पर प्रतिबंध लागू रहना जारी रहेगा।
	9	• इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत 30 अप्रैल 2007 से संशोधित कर दिए गए हैं, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे 2007 के जून माह के अंतिम सूचित शुक्रवार की स्थिति के अनुसार विशेष विवरणियों I, II और III के मौजूदा फार्मेटों में आंकड़े प्रस्तुत करें। तथापि, 30 अप्रैल 2007 से 22 जून 2007 के बीच प्रदत्त ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों के संबंध में शोधित दिशानिर्देशों के आधार पर वर्गीकृत किए गए।
	13	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने निदेश मंडल के अनुमोदन से क्षेत्र निरपेक्ष आधार पर आवास क्षेत्र को 20 लाख रुपए तक का सीधा वित्तीयन कर सकते हैं। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धिशील जमा की सीमा जो पहले निर्धारित की गई थी, वापस ले ली गई है।
	22	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे तिमाही आधार पर आवास वित्त संवितरण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना बंद कर दें जिसमें आवास वित्त के संबंध में उनके द्वारा किए गए संवितरणों का विस्तृत ब्यौरा रहता है। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि ऋण स्वीकृति/संवितरण करते समय सभी उधारकर्ताओं को अनिवार्यतः ऋण करार की एक प्रति उपलब्ध कराएं। • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे भारतीय कंपनियों के एनआरआइ कर्मचारियों को इएसओपी योजना के अंतर्गत कंपनियों के शेयरों की खरीद हेतु रुपया ऋण दे सकते हैं।
	23	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि सीसीआइएल ने ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिवों के लिए एक रिपोर्टिंग प्लेटफार्म विकसित किया है जो काउंटर पर किए गए ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार (आइआरएस/एफआरए) संव्यवहारों का स्थान लेगा। यह प्लेटफार्म 30 अगस्त 2007 से काम करना प्रारंभ कर देगा। सभी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सौदा होने के समय से 30 मिनट के अंदर रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर अपने सभी आइआरएस/एफआरए सौदे रिपोर्ट करें। ग्राहकों के सौदे रिपोर्ट न किए जाएं। बैंक और प्राथमिक व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बकाया आइआरएस/एफआरए करारों (ग्राहक सौदों को छोड़कर) के विवरण 15 सितंबर 2007 तक रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर डाल दिए जाएं । इस संबंध मं विस्तृत परिचालनीय मार्गदर्शी सिद्धांत सीसीआइएल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
सितंबर	3	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों का अधिकाधिक योगदान लेकर शाखा स्तरीय समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह वांछनीय है कि शाखा स्तरीय समितियां अपने ग्राहकों को भी उसमें शामिल करें। इसके अलावा चूंकि बैंकों में वरिष्ठ नागरिक सामान्यतः एक महत्वपूर्ण ग्राहक वर्ग का निर्माण करते हैं अतः, वरीयतः उसमें एक वरिष्ठ नागरिक को शामिल किया जा सकता है। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा के मद्देनजर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के रिपोर्टिंग फार्मेट की समीक्षा की गई।
	4	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी और बाजार स्थलों में अपने विस्तार पटल खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। ऐसे मामलों में प्रधान बैंकर होने की शर्त लागू नहीं होगी। तथापि, इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
	7	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 'द सांगली बैंक लि.' का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निकाल दिया गया है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
सितंबर	10	• सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 5 और परिपत्र, नामतः राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन, समझौता/बट्टे खाते डालने के लिए मुख्य प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन, बैंकों में सतर्कता व्यवस्थाएं, बैंक लूटों/डकैतियों/सेंधमारियों के मामलों की रिपोर्टिंग और ग्राहक सेवा निपटान प्रक्रिया संबंधी स्थायी समिति की बैठक, जाली लिखतों की अदायगी के संबंध में निपटान प्रक्रिया वापस ले लिए जाएं।
	12	• जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि आठ नव सृजित जिलों के संबंध में अग्रणी बैंक दायित्व निभाने का कार्य जो भारतीय स्टेट बैंक तथा जम्मू और कश्मीर बैंक को दिया गया था उसे नियमित कर दिया जाए।
	13	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों संबंधी उच्चाधिकार समिति से सहमति प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने दूःरस्थ कार्यालयों को पूर्ण शाखा में बदलने की अनुमति दी जाए। इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से भी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करे।
	17	• सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी सभी शाखाएं आवास ऋण देते समय रिज़र्व बैंक द्वारा 17 नवम्बर 2006 को जारी किए गए अनुदेशों का अति सावधानी से पालन करें।
	21	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि चूंकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाओं के स्थानांतरण, घाटा उठानेवाली शाखाओं का विलय आदि से संबंधित कुछ प्रावधान आशोधित कर दिए गए हैं।
	26	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि निवासी व्यक्तियों को लिए उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत उच्चतम सीमा 1 लाख अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2 लाख अमरीकी डालर कर दी गई है।
अक्तूबर	4	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि अनर्जक आस्तियों की बिक्री के समय वसूली की निवल लागत के साथ उपलब्ध प्रतिभूतियों के प्राप्य मूल्य से संबंधित अनुमानित नकद प्रवाह का निवल वर्तमान मूल्य निकालें। बिक्री मूल्य उपर्युक्त तरीके से निकाले गए निवल वर्तमान मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।
	6	• सभी अनुसूचित वाणिजय बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि रुपया निर्यात ऋण ब्याज दर योजना 31 मार्च 2008 तक बढ़ाई गई और निष्कर्षित डी ऑयल केक तथा प्लास्टिक और लिनोलियम क्षेत्र का शोधक्षम किया गया। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि सभी निर्यातकों को प्रति निर्यातकर्ता ईईएफसी खातों में स्थित 1 मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि पर ब्याज प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह उपाय पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के रूप में होगा एवं आगे समीक्षा किए जाने के अधीन 31 अक्तूबर 2008 तक लागू होगा।
	9	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि ऐसे मामले जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नकारात्मक निवल मालियत होने के बावजूद वे पिछले तीन वर्ष से निवल लाभ कमा रहे हों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एनआरओ/एनआरई/एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने हेतु आवेदन अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पर्यवेक्षी दृष्टि से मामला-दर-मामला आधार पर जांचा जा सकता है और रिज़र्व बैंक को उसकी सिफारिश की जा सकती है। • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि अधिकार प्राप्त समिति स्थानीय परिस्थितियों और बैंकिंग वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नियंत्रक कार्यालय खोलने की अनुमति दे सकती है चाहे उसके पास 75 शाखाएं हों या नहीं।
	18	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पात्रता मानदंडों के अनुपालन के अधीन रिजर्व बैंक के पास करेंसी चेस्ट सुविधा हेतु आवेदन करने की अनुमति दी गयी।
	23	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची से 'लॉर्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड' का नाम हटा दिया गया।
	24	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि (क) बैंकों के ढांचागत चलनिधि के विवरण में पहले समय अंतराल (वर्तमान में 1-14 दिन) को तीन समय अंतरालों यथा अगला दिन 2-7 दिन और 8-14 दिनों में बांटकर चलनिधि जोखिम के आकलन के लिए और गहरा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए; (ख) ढांचागत चलनिधि के विवरण को पूर्णरूप से सुसंगत वातावरण की अनुलब्धता को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध डाटा के आधार पर तैयार किया जाए। तथापि, बैंकों को समयबद्ध तरीके से आंकड़ों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए; (ग) अगले दिन, 2-7 दिन 8-14 दिन और 15-28 दिनों के अंतरालों के दौरान निवल संचयी ऋणात्मक अंतर संबंधित समय अंतरालों में संचयी नकद बहिर्वाह के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि चलनिधि पर संचयी प्रभाव को पहचाना जा सकें; (घ) बैंकों को गतिशील चलनिधि प्रबंधन को अपनाना चाहिए और ढांचागत चलनिधि विवरण को प्रतिदिन तैयार करना चाहिए। तथापि, ढांचागत चलनिधि विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को माह में एक बार, प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को रिपोर्ट करना चाहिए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अक्तूबर	25	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर को सूचित किया गया कि वे उनके द्वारा शुरू किए गए ऐसे जमाराशि योजना का बंद करें जिनकी लॉक-इन अवधि रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार के दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी 29 नवम्बर 2007 को जारी किए गए।
	29	• सभी वाणिज्य बैंकों (विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को दिशानिर्देशों के अधीन पीएनसीपीएस, पीसीपीएस, आरएनसीपीएस और आरसीपीएस जैसे अधिमान शेयर जारी कर टियर I और अपर टियर II पूंजी जुटाने हेतु लिखतों के कई विकल्प चुनने की अनुमति दी गई।
	30	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वर्तमान चलनिधि की समीक्षा करने पर निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सीआरआर में 10 नवंबर 2007 के पखवाड़े से 50 आधार अंक बढ़ाकर कर इसे उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत किया जाए। इसी प्रकार का परिपत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 31 अक्तूबर 2007 को जारी किया गया। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 'यूटीआई बैंक लिमिटेड' का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' कर दिया गया।
नवंबर	1	• सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को सूचित किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशिष्ट 'योग्य और उचित' मानदंड के लिए दिशानिर्देश तय किये जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3) (i) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चुने जानेवाले व्यक्तियों पर लागू होंगे।
	6	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि बैंक परियोजनाओं के वित्तपोषण के समय प्रवर्तकों की ईक्विटी का स्तर निश्चित करने के लिए आम तौर पर इनमें से एक पद्धति अपनाते हैं : (i) बैंक की प्रतिबद्धता के संवितरण से पूर्व प्रवर्तक अपना संपूर्ण अंशदान अग्रिम लाते हैं; (ii) प्रवर्तक अपने कुछ अंशदान (40-50 प्रतिशत) को अग्रिम रूप में लाते हैं और शेष राशि चरणों में लायी जाती है; (iii) प्रारंभ में प्रवर्तक सहमत होता है कि बैंकों के ऋण भाग के वित्तपोषण के समय वे ईक्विटी निधियों को समानुपातिक रूप से लायेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाया है कि आखरी पद्धति में अधिक ईक्विटी निधि जोखिम है। इस जोखिम को समाप्त करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि ऋण ईक्विटी अनुपात (डीईआर) के लिए स्पष्ट नीति रखें और प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी/निधि का अंर्तप्रवाह इस प्रकार हो कि डीईआर सदैव नियत स्तर पर रहे। इसके साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निधि श्रृंखला को अपनाएं ताकि बैंकों में ईक्विटी निधीयन की संभावना न रहे। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए कि वे तेल की मार्केटिंग एवं रिफाइनिंग करनेवाली कंपनियों को उनके पण्य मूल्य जोखिम का हेज करने की अनुमति दे सकते हैं जो उनके पूर्ववर्ती तिमाही से पूर्व की तिमाही की मात्रा के आधार पर इन्वेन्टरी के 50 प्रतिशत तक होगा।
	7	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि अपरिष्कृत हीरे के आयात के संबंध में आयात बिलों/दस्तावेजों की सीधी प्राप्ति की सीमा 1 लाख अमरीकी डालर से बढ़ाकर 3 लाख अमरीकी डालर कर दी गई है।
	8	• भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि विलंबित धन विप्रेषणों और दोहरी/अधिक प्रतिपूर्ति पर आठ प्रतिशत ब्याज दर (अर्थात बैंक दर + 2 प्रतिशत) में आगामी अनुदेशों तक कोई परिवर्तन नहीं होगा।
	14	• भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों को सूचित किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 (यथा संशोधित 2007) की धारा 25(1)(घ) के प्रावधानों के तहत भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक के बोर्ड के निदेशक रूप में चयनित होने वाले व्यक्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशिष्ट 'उपयुक्त और उचित' मानदंड निर्धारित किए हैं।
	15	• माइकर केंद्रों पर समाशोधन गृह के पहुंच मानदंड हेतु विवेकशील दिशानिर्देश जारी किए गए। ये दिशानिर्देश 1 जनवरी 2008 से प्रभावी होंगे।
	22	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटार्डेशन और बहुविकलांगताओं वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंक खाते खोलने/चलाने के प्रयोजनार्थ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी किये गये संरक्षक प्रमाणपत्रों पर भरोसा करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं समुचित गाइडेंस देती हैं ताकि ऐसे विकलांक व्यक्तियों के माता-पिता/संबंधियों को इस संबंध में कोई तकलीफ न हो।
	29	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कोई नई घरेलू जमा संग्रहण योजना प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि जमाराशियों, आवधिक जमाराशियों के समयपूर्व आहरण, आवधिक जमाराशियों के तहत ऋणों/अग्रिमों की स्वीकृति पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय। इससे संबंधित किसी भी उल्लंघन को गंभीर माना जाएगा औ उस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) के अंतर्गत दंड किया जा सकता है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
नवंबर	30	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि देश के औद्योगिक विकास में पेट्रोलियम पाइपलाइन के महत्व के मद्देनजर गैस/कच्चा तेल/पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने/या अनुरक्षण में शामिल परियोजनाओं को ऋण सुविधा मंजूर करने वाले बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण' की परिभाषा में विस्तार किया गया। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया कि एक बार न्यायालय/डीआरटी/बीआइएफआर में मामला दर्ज होने पर वे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता के साथ होने वाला कोई समझौता संबंधित न्यायालय/डीआरटी/बीआइएफआर से सहमति डिग्री प्राप्त करने के अधीन हो। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि प्रीशिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण में 2 प्रतिशत (पहले दिए गए 2 प्रतिशत के अतिरिक्त) का अतिरिक्त अनुदान चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण, मैरीन उत्पाद और आरएमजी सहित वर्तमान योजना के तहत वस्त्र की सभी श्रेणियों को दिया गया लेकिन इसमें मानव निर्मित फारबर और हस्तशिल्प क्षेत्र शामिल नहीं है। उपर्युक्त क्षेत्र के संबंध में बकाया राशि पर 180 दिन के प्री-शिपमेंट क्रेडिट और 90 दिन के पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट पर बैंक बीपीएलआर से 6.5 प्रतिशत कम से अधिक ब्याज दर न वसूल करें। यह छूट 1 नवम्बर 2007 से 31 मार्च 2008 तक वैध रही थी।
दिसंबर	6	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को अनुमति दी गई कि वे गैर- सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा के अंदर मूलभूत ढांचा संबंधी कार्यकलापों में संलग्न कंपनियों के रेटिंग न किए गए बांडों में निवेश कर सकते हैं ताकि इस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित किया जा सके।
	12	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियां क्षेत्र को आगे ऋण प्रदान करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों / प्रायोजक बैंकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए गए ऋण को वाणिज्यिक बैंकों/प्रायोजित बैंकों के बुक में कृषि के लिए अपरोक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाए। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों/ प्रायोजित बैंको से उधार ली गयी ऐसी निधियों से उधार दी गई राशि को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे उधार की गणना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से अपने बैंक ऋण के भाग के रूप में न करें।
	14	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को उनके द्वारा म्यूच्युअल फंड को दिए गए ऋण और म्यूच्युअल फंड के द्वितीयक बाजार खरीद के लिए उनके अनुरोध पर विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए अटल भुगतान प्रतिबद्धता के संबंध में निर्देश जारी किए गए। • कर्नाटक के चिक्कबल्लपुर और रामनगर जिलों में प्रमुख बैंक की जिम्मेवारी क्रमशः केनरा बैंक और कारपोरेशन बैंक को सौंपी गई।
	20	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, स्थिर विकास और गैर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दें और अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्थिर विकास में सहयोग के लिए उपयुक्त एवं उचित कार्य-योजना लायें।
	28	• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार अपनी जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) का प्रकटीकरण करें और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने तुलन-पत्र में इसे 'लेखों पर टिप्पणियाँ' में प्रकट करें।
2008		
जनवरी	8	• बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के साथ धारा 17(2) के तहत, जब भी कोई बैंकिंग कंपनी अपनी आरक्षित निधि से किसी राशि अथवा राशियों का विनियोग करती हैं तो वह ऐसे विनियोग की तारीख के 21 दिन के भीतर रिजर्व बैंक के पास इस तथ्य के बारे में रिपोर्ट करेगी और उन परिस्थितियों को भी उल्लेख करेगी जिसमें ऐसा विनियोग किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षित निधि से यह राशि विवेकपूर्ण ढंग से निकाली गयी है और यह विनियामक निर्देशों का उल्लंघन नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया कि सांविधिक आरक्षित निधि अथवा अन्य आरक्षित निधि से विनियोग किये जाने से पूर्व रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करें। ऐसी आरक्षित निधियों से राशि निकालने के बारे में तुलन-पत्र में प्रकटन पर भी दिशानिर्देश जारी किये गये।
	15	• तमिलनाडु के अरियालूर जिले में प्रमुख बैंक की जिम्मेवारी भारतीय स्टेट बैंक को सौंपी गई।
	17	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से शिक्षा ऋण गैर-उपभोक्त ऋण के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। तदनुसार, बासल-I और बासल II ढांचे के तहत शिक्षा ऋण पर जोखिम भार क्रमशः 100 प्रतिशत और 75 प्रतिशत होगा।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
फरवरी	18	• अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को पूर्व में सूचित किया गया कि पहचान का तात्पर्य ग्राहकों को पहचानना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत, दस्तावेजों, डाटा अथवा संतोषजनक जानकारी के माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टि करना है। ग्राहक पहचान के लिए विश्वसनीय जानकारी/दस्तावेजों के प्रकार और प्रवृत्ति की सांकेतिक सूची भी दी गयी थी। यह देखा गया कि कुछ बैंक इस सांकेतिक सूची को व्यापक सूची मानते हैं और इसके परिणामस्वरूप जनता के एक वर्ग को बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति से वंचित रखा जाता है। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में जारी आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे कम से कम छह महीने में एक बार की अवधिकता पर ग्राहकों की जोखिम श्रेणी निर्धारण की समीक्षा करें। फोटो सहित ग्राहक पहचान संबंधी सूचनाओं को अद्यतन बनाने की आवधिकता कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में पांच वर्ष में कम से कम एक बार और अधिक तथा मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में दो वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि आतंकवादियों से संबंध रखने वाले संदिग्ध खातों की बेहतर निगरानी के लिए समुचित नीतिगत ढांचे के माध्यम से उचित पद्धति विकसित करें। इसी प्रकार के दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 27 फरवरी 2008 को जारी किये गये।
	19	• मुर्गियों के मारे जाने तथा पोल्ट्री उत्पादों एवं मूल्यों की मांग में भारी कमी के कारण आय में कमी को दृष्टिगत रखते हुए पोल्ट्री उद्योग को राहत देने के लिए सभी अनुसुचित वाणिज्यि बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये।
मार्च	3	• बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि यदि शिकायतकर्ता को शिकायत दर्जा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उसके पास अपनी शिकायत के निपटान के लिए संबंधित बैंकिंग ऑम्ब्युडसमैन के कार्यालय में आवेदन करने का विकल्प होगा।
	4	• बैंकों द्वारा अपने सहयोगियों के संबंध में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गमित करने संबंधी विवेकशील मानदंड सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए।
	10	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के समान सहकारी पहल से ग्राहक देश में स्थित किसी भी एटीएम का उपयोग कर सके, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निदेश दिया गया कि वे ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम को किसी भी उद्देश्य के लिए निःशुल्क प्रयोग करने तथा किसी अन्य बैंक के एटीएम को खाते का बैलेंस जानने के लिए निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति दें। इसके अलावा, बैंकों यह भी अनुदेश दिया गया कि 23 दिसंबर 2007 को लागू प्रभारों को न बढ़ाएं तथा जो बैंक एक संव्यवहार के लिए 20 रुपए से अधिक प्रभार ले रहे थे वे 31 मार्च 2008 तक अपने प्रति संव्यवहार प्रभार को कम करके 20 रुपए तक लाएं और 1 अप्रैल 2009 से सभी संव्यवहार मुफ्त कर दिये जाएं। • सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2008 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं जैसे बैंक/प्राथमिक व्यापारी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मध्य होनेवाले एक करोड़ रुपए और उसे अधिक के भुगतान संव्यवहारों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों जैसे मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के मध्य एक करोड़ और उसे अधिक रुपए के भुगतानों को भी 1 अप्रैल 2008 से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।
	26	• नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत पिलर 2 या पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए।
	27	• गुजरात के तापी जिले में प्रमुख बैंक की जिम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा को सौंपी गई।
	31	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि तत्काल प्रयास से नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे में कुछ संशोधन किए गए।
अप्रैल	1	• राजस्थान के प्रतापगढ़ में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा को सौंपी गई।
	9	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2008 के पखवाड़े से संरचनागत चलनिधि स्थिति के पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग की आवधिकता रिपोर्टिंग तारीख अर्थात प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे बुधवार से 7 दिन तक रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी है।
	10	• डीआरआइ योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए संशोधित आय मापदंड सभी अनुसुचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किये गये। तदनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता अब यह सुविधा लेने के लिए पात्र होंगे।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
अप्रैल	10	• भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2008 से कर दाताओं के कुछ श्रेणियों द्वारा कर का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आवश्यक किया गया।
	15	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की समूची ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें जैसा कि वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में बताया गया था। • हाथ से सफाई करने वालों के पुर्नवास हेतु नई स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) संबंधी दिशानिर्देश सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए।
	16	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि गैर स्टेटस होल्डर निर्यातकों द्वारा अपरिष्कृत मूल्यवान तथा कम मूल्यवान रत्नों के आयात के संबंध में आयात बिलों/दस्तावेजों की सीधी प्राप्ति की सीमा 1 लाख अमरीकी डालर से बढ़ाकर 3 लाख अमरीकी डालर कर दी गई।
	17	• भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि एक एजेंसी बैंक से दूसरे एजेंसी बैंक /डाक घर के बीच लेखांकन पद्धति से जुड़े मामले एससीएसएस के अंतर्गत खातों के अंतरण के मामले की जांच वित्त मंत्रालय द्वारा की गयी। मंत्रालय ने एससीएसएस एजेंसी बैंक/डाक घर अंतरण के अंतर्गत खाता अंतरण के लिए पीपीएफ योजना के लिए अपनाई जानेवाली पद्धति के समान पद्धति को अपनाने का अनुमोदन किया बशर्ते अंतरण शुल्क का भुगतान उपर्युक्त योजना के संबंधित नियमों पर लागू शुल्क के अनुसार हो। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अपनाई जानेवाली पद्धतियों की निदर्शनात्मक सूची अधिसूचित की।
	21	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि आरक्षित नकदी अनुपात में प्रत्येक दो चरणों में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी करते हुए 26 अप्रैल 2008 के पखवाड़े से 7.75 प्रतिशत और 10 मई 2008 के पखवाड़े से 8 प्रतिशत किया गया। इसी प्रकार के दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 22 अप्रैल 2008 को जारी किए गए।
	22	• सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि उनके बोर्ड द्वारा कैलेंडर की समीक्षा किए जाने और यह सुनिश्चित करने कि कैलेंडर वर्तमान परिदृश्य को परिलक्षित करता है, के कारण बैंक के बोर्ड के बोझ को कम करने के प्रयोजन से कैलेंडर आइटमों को संशोधित किया गया। संशोधित शेड्यूल 1 जून 2008 से लागू होगा। यदि किसी विशेष कारण से किसी महीने में बोर्ड के समक्ष कैलेंडर के अनुसार ज्ञापन रखना संभव न हो, तब बोर्ड को इस आशय का एक नोट प्रस्तुत किया जाए जिसमें इस विलंब के कारण और इस बात का उल्लेख हो कि बोर्ड के समक्ष समीक्षा कब प्रस्तुत की गई।
	24	• बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों को नियोजित करने के विवादों और कानूनी कार्यों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर महसूस किया गया कि नकारात्मक प्रचार से समग्र बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठा का गंभीर जोखिम हो सकता है। इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) द्वारा नियोजित किये जानेवाले वसूली एजेंटों से संबंधित नीति, प्रथा और पद्धति पर रिजर्व बैंक ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये। • यह निर्णय लिया गया कि बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित) को पहले से ही अनुमति प्राप्त संस्थाओं के साथ-साथ सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों/भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में नियोजित करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से दी जाए, बशर्तें इसमें समुचित सावधानी बरती जाए। ऐसे व्यक्तियों को बीसी के रूप में नियुक्त करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि बीसी का कार्य करनेवाले ये व्यक्ति उस क्षेत्र के ही स्थायी निवासी हों और एजेंसी जोखिम को कम करने के लिए उचित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी अपनाए जाएं।
	29	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि सीआरआर में 24 मई 2008 के पखवाड़े से 25 आधार अंक की वृद्धि कर 8.25 प्रतिशत किया जाएगा। इसी प्रकार के अनुदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30 अप्रैल 2008 को जारी किए गए।
May	2	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त होने और उन्हें दूर करने के लिए एक समुचित व्यवस्था है जिसमें ऐसी शिकायतों को निष्पक्ष रूप से तथा तेजी से हल करने पर विशेष जोर दिया जाता है। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे किसी गुमशुदा व्यक्ति के दावों का निपटान करने हेतु अपने को सक्षम बनाने के लिए कोई नीति बनाएं। इसी प्रकार के दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12 सितंबर 2008 को जारी किए गए।
	6	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को सूचित किया गया कि वे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जीसीसी के अंतर्गत बकाया क्रेडिट का 100 प्रतिशत और 'नो-फ्रिल' खातों के विरूद्ध प्रदत्त 25,000 रुपए (प्रति खाते) तक के ओवरड्राफ्टों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने के रूप में वर्गीकृत करें।
मई	6	• सभी देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले उधारों में कमी को अप्रैल 2009 से नाबार्ड में रखे गए आरआइडीएफ अथवा वित्तीय संस्थाओं के यहां निधियों में अंशदान देने हेतु उन्हें राशि आबंटित करने के प्रयोजन से इसे भी हिसाब में लेंगे।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
		• झारखंड के खूंटी और रामगढ़ जिले में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी गई।
	8	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि कानूनी और अन्य बाहरी कारणों से बुनियादी संरचना परियोजनाओं के पूरी होने में विलंब के संबंध में किये गये प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयनाधीन बुनियादी संरचना परियोजनाओं हेतु आस्ति वर्गीकरण मानदंड 31 मार्च 2008 से आशोधित किये गये। संशोधित मानदंडों में यह निर्दिष्ट किया गया कि यदि कोई बुनियादी संरचना परियोजना बैंक द्वारा 28 मई 2002 के बाद वित्तपोषत की गई है तो परियोजना के वित्तीय रूप से बंद होने के समय इस परियोजना के पूर्ण होने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए और यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख परियोजना पूरी होने की तारीख के बाद 2 वर्ष (एक वर्ष के पिछले मानदंड की तुलना में) की अवधि से अधिक खिंच जाती है, जैसा कि मूलतः परिकल्पित किया गया था, तब यह खाता अवमानक खाता माना जाना चाहिए।
	14	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि आवासीय संपत्ति द्वारा सुरक्षित दावों के जोखिम भार में परिवर्तन किया गया। 75 प्रतिशत के बराबर से कम एलटीवी अनुपात के ऋणों के लिए जोखिम भार 50 प्रतिशत तक घटाई गई यदि मंजूर ऋण की राशि 30 लाख रुपए तक है और यदि यह राशि 30 लाख रुपए से अधिक है तो जोखिम भार 75 प्रतिशत घटाई गई। 75 प्रतिशत से अधिक एलटीवी अनुपात के ऋणों के लिए जोखिम भार 100 प्रतिशत रखा गया।
	22	• धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सूचित किया गया कि वे जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का प्रोफाईल तैयार करें। समय-समय पर जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बैंकों से यह भी पुनः कहा गया कि लेनदेन निगरानी प्रणाली के अंग के रूप में बैंक समुचित अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग में लायें जो जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों के अद्यतन प्रोफाइल से असंगत होने वाले संव्यवहार के सामने आने पर सचेत करें। इसके अलावा, किए गए प्रयासपूर्ण बैंकिंग संव्यवहार और जाली मुद्रा वाले संव्यवहारों के लिए भी एक रिपोर्टिंग पद्धति प्रारंभ की गई। इसी प्रकार के दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी 18 जून 2008 को जारी किए गए। • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणी के तहत वे इस क्षेत्र को उधार देने के अपने 60 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक अपने द्वारा रखी गई ऋण आस्तियाँ बेच सकते हैं।
	23	• वित्तमंत्री ने 2008-09 के अपने बजट भाषण में किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की थी। इस बारे में विस्तृत योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं के अलावा सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित की गई। सभी अनुसूचित वाणिज्य (स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) बैंकों को सूचित किया कि ऋण माफी और ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा हो जाना चाहिए।
	29	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति की समीक्षा की गई है तथा सभी लागत सहित की उच्चतम सीमा तथा मूलभूत ढांचा क्षेत्र के उधारकर्ताओं सहित नीतियों के कुछ पहलुओं में संशोधन किया गया है।
जून	2	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि सेवा क्षेत्र की संस्थाएं अर्थात होटल,अस्पताल, सॉफ्टवेयर कंपनियां पूंजीगत वस्तुओं के आयात के हेतु अनुमोदित रूट से प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक बाहय वाणिज्यिक उधार प्राप्त कर सकती हैं।
	4	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि सभी बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि थर्ड पार्टी चेकों सहित चेक बुक सुविधा, एमटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, फुटकर ऋण, क्रेडिट कार्ड, आदि सुविधाएं अनिवार्य रूप से बिना किसी भेदभाव के अंध व्यक्तियों को भी दी जाएं। बैंकों को सूचित किया गया कि अपनी सभी शाखाओं को भी सूचित करें कि वे इन विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए अंध व्यक्तियों को सभी संभव सहायता दें। आरआरबी को भी ऐसे ही दिशानिर्देश 23 जुलाई 2008 को जारी किए गए ।
	9	• निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए निर्धारित समीक्षा समीक्षा के संशोधित कैलेंडर का यथासंभव पालन करें। यह संशोधित शेड्यूल 1 जुलाई 2008 से लागू होगा।
	11	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि 12 जून 2008 से रिपो दर 25 आधार अंक बढ़ाते हुए 8 प्रतिशत किया गया।
जून	20	• सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 1 अगस्त 2008 से रिज़र्व बैंक विनियमित बाजार में रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं के बीच आवश्यक रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के जरिए होने वाले सभी भुगतान लेन देन की सीमा 10 लाख रुपए तक घटाई जाएगी।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
	24	• सभी अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि 25 जून 2008 से रिपो दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत किया गया।
	26	• सभी अनुसूचित बैंकों को सूचित किया गया कि, दो चरणों में आरक्षित नकदी अनुपात 50 आधार अंक बढ़ाकर 5 जुलाई 2008 और 19 जुलाई 2008 के पखवाड़े से क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 8.75 प्रतिशत किया गया।
जुलाई	14	• सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचति किया कि सरकार किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के परिप्रेक्ष्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान मुहैया कराएगी। अनुदान की इस राशि की गणना फसल ऋण के उस राशि के आधार पर की जाएगी जो संवितरण/ आहरण की तारीख से भुगतान की तारीख तक या उस तारीख तक जिसके बाद बकाया ऋण अतिदेय हो जाता है, अर्थात खरीफ फसलों के लिए 31 मार्च 2009 और रबी के लिए 30 जून 2009 जो भी पहले हो, तक संवितरित की गई हो।
	23	• अवांछित क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड धारकों को बीमा कवर के प्रावधान के मामले पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निर्देश जारी किए।
	29	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि 30 जुलाई 2008 से रिपो दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 9.0 प्रतिशत किया जाएगा।
	30	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि 30 अगस्त 2008 के पखवाड़े की शुरूआत से सीआरआर 25 आधार अंक बढ़ाकर 9.0 प्रतिशत किया गया। इसी प्रकार की अधिसूचना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 31 जुलाई 2008 को जारी की गई।
	31	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सूचित किया गया कि बैंक आरक्षित निधि बनाए रखने की अवधि के अंतिम दिन इसके सुगम प्रबंधन के लिए 1 अगस्त 2008 से रिपोर्टिंग शुक्रवार को चलनिधि की दूसरी समायोजन योजना (एसएएलएफ) शुरू करने का निर्णय किया गया। एसएलएएफ अपराह्न 4.00-4.30 बजे किया जाएगा और नीलामी परिणाम अपराह्न 5.00 बजे घोषित किए जाएंगे।
अगस्त	1	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि सरकार ने 30 सितंबर 2008 से उस योजना को बंद करने का निर्णय किया जो निर्यातकों को विशिष्ट क्षेत्र से ब्याज दर अनुदान मुहैया कराती है। बैंकों को सूचित किया गया कि वे इसे इस योजना के तहत कवर अपने निर्यातक ग्राहकों के नोटिस में लाएं ताकि निर्यातकों को आवश्यक समायोजन करने का पर्याप्त समय मिल सके।
	4	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि ईईएफसी खातों पर 1 मिलियन अमरीकी डालर तक की शेष राशि पर प्रति निर्यातकर्ता को अस्थायी उपाय के रूप में ब्याज दिए जाने की सुविधा को भारत सरकार से परामर्श के बाद 1 नवंबर 2008 से उठा लिया गया है। तदनुसार,1 नवंबर 2008 से सभी ईईएफसी खातों के ब्याज अर्जन न करनेवाले चालू खाते के रूप में खोले जाने तथा बनाए रखने की अनुमति होगी।
	5	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि डीआरआइ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपए की पात्र आय मानदंड अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर भी लागू होगी।
	6	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सेबी अनुमोदित एक्सचेंज का कारोबारी/समाशोधन सदस्य बनने के लिए पात्र मानदंड के बारे में सूचित किया गया। • भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत एक्सचेंजों में मुद्रा फ्यूचरों में ट्रेडिंग के ढांचे को कवर करते हुए निदेश (सेबी के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया) जारी किए।
	8	• बैंकों के तुलन पत्र से इतर निवेश संबंधी विवेकशील मानदंड पर अंतिम दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) को जारी किए गए।
	18	• मध्य प्रदोश के अलिराजपुर और सिंगरौली जिलों में में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी क्रमशः बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी गई।
	22	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निष्क्रिय खाते के प्रबंधन संबंधी विस्तृत अनुदेश जारी किए गए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे वर्तमान खाते जिन्हें 'निष्क्रिय खाते' के अलग बही में हस्तांतरित कर दिया गया है के संबंध में ग्राहक/कानूनी वारिस का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर विचार करें।
अगस्त	22	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को व्यापक नोटिस बोर्ड के जरिए सूचना प्रदर्शन के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
	26	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे भूमिरहित श्रमिकों, बटाईदार कृषकों, ठेका कृषकों और व्यावसायिक स्थिति देने वाल अलिखित पट्टेदार (अर्थात जोती गई भूमि/उगी फसल के विवरण) द्वारा 50,000 रुपए तक के ऋण के लिए प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र स्वीकार करें। बैंक ऐसे व्यक्तियों को उधार देने के लिए संयुक्त देयता समूह/एसएचजी तरीकों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तथापि, बैंक वित्तप्रदान करने से पहले केवाईसी मानदंड, मूल्यांकन और मंजूरी-पूर्व सामान्य जांच के अनुसार पहचान की प्रक्रिया अपनाएं।
	27	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों को व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में नियोजित किया जा सकता है बशर्ते ऐसी कंपनियां एकल (स्टैंड अलोन) संस्थाएं या धारा 25 की कंपनियां हों जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बैंक, टेलीकॉम कंपनी और अन्य कारपोरेट संस्थाओं या उनकी धारक कंपनियों की इक्विटि धारिता 10 प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अलावा, कंपनी धारा 25 को बीसी के रूप में प्रयुक्त करते समय बैंक बीसी के कारोबार स्थान और शाखा के बीच 15 कि.मी/5 कि.मी. के दूरी मानदंड, जैसा लागू हो, का कड़ाई से पालन करें।
	28	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि परिभाषा के अनुसार बैंकिंग का तात्पर्य है उधार और निवेश के प्रयोजन से जनता से जमाराशि स्वीकार करना। इस प्रकार, बैंक ऐसा उत्पाद नहीं बना सकता जो बैंकिंग के मूल सिद्दांतों के अनुरूप न हो। इसके अलावा ऐसे खंड को नियम व शर्तों में शामिल करना जो काउंटर पर नकद जमा करने से प्रबंधित करता हो, भी अनुचित प्रथा है। इसलिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं अनिवार्य रूप से उन सभी ग्राहकों से काउंटर पर नकद स्वीकार करती हैं जो काउंटर पर नकद जमा करने को इच्छुक हों। साथ ही, उन्हें ऐसे खंड को नियम व शर्तों में शामिल करने जो काउंटर पर नकद जमा करने से प्रतिबंधित करता हो, से बचने के लिए सूचित किया गया। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे फसल उत्पादन के वित्तपोषण हेतु प्रायोगिक आधार पर एक नया उत्पाद शुरू करने के लिए किसी वर्षा सिंचित जिले का चयन करें जिससे : (क) एकल उधारकर्ता की फसल ऋण आवश्यकता का 80 प्रतिशत वर्तमान मानदंड/प्रथा के अनुरूप एक अल्पावधि उत्पादन ऋण के जरिए जारी हो सके, (ख) और शेष 20 प्रतिशत जो 'प्रमुख घटकट (स्वयं किए गए श्रम और खपत के अलावा भूमि तैयार करने और बुवाई के पूर्व प्रचालन आदि के व्यय) परिलक्षित करता है, की मंजूरी एक 'क्लीन क्रेडिट लिमिटट के रूप में दी जा सके।
सितंबर	4	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित) को सूचित किया गया कि कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 के तहत दावों की प्रतिपूर्ति और दावों के लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में संशोधन किया गया।
	8	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 7 मई 2008 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 'इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेडट का नाम बदलकर आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड किया गया है।
	12	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि ब्याज दर और सेवा शुल्कों से संबंधित सूचना प्रदर्शन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित फार्मेट अपनाएं ताकि ग्राहक को एक दृष्टि में इच्छित सूचना प्राप्त हो सके। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त फार्मेट में केवल नवीनतम जानकारी उनके वेबसाइट पर रखी गई हो और यह जानकारी उनके वेबसाइट के होमपेज से आसानी से प्राप्त की जा सकती हो।
	16	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि 17 सितंबर 2008 से एसएएलएफ दैनिक आधार पर की जाएगी। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 17 सितंबर 2008 से अस्थायी उपाय के तौर पर और अगली समीक्षा तक वे चलनिधि समायोजना सुविधा के तहत अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं की एक प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त चलनिधि का उपयोग कर सकते हैं। यह भी सूचित किया गया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत इस अतिरिक्त चलनिधि सहायता का उपयोग करने से एसएलआर बनाए रखने में कोई कमी होने पर, बैंक इसके फलस्वरूप दंडस्वरूप ब्याज के भुगतान की मांग न करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) को सूचित किया गया कि 16 सितंबर, 2008 को कारोबार की समिति से एनआरई रुपया जमा और एफसीएनआर(बी) जमा पर ब्याज दर 50 आधार अंक बढ़ाकर क्रमशः लिबर/स्वैप दर जोड़ 50 आधार अंक और लिबर/स्वैप दर घटाएं 25 आधार अंक किया गया। इसी प्रकार के अनुदेश 18 सितंबर 2008 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए।
	17	• सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को पुनः सूचित किया गया कि वे केवल उन प्रत्यक्ष मार्केटिंग एजेंट/प्रत्यक्ष्य बिक्री एजेंट को नियोजित करें जो दूरसंचार विभाग के साथ टेलीमार्केटियर के रूप में पंजीकृत हो। इसके अलावा, ऐसे टेलीमार्केटियर का नियोजन जो दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत न हों उसे बैंकों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।
सितंबर	19	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंको को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित उपायों के जरिए एक से अधिक बैंकों से ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी हेतु अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
	22	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के मानदंड के बारे में सूचित किया गया। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति की समीक्षा की गई तथा सभी लागत सहित उच्चतम सीमा एवं मूलभूत ढांचा क्षेत्र के उधारकर्ताओं सहित नीति के कतिपय पहलुओं में संशोधन किया गया ।
	23	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि 'विदेशी मुद्रा विनिमय योग्य बांड (एफसीईबी) योजना, 2008' को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना जी.एस.आर.89 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। तदनुसार योजना को प्रचालित करने का निर्णय लिया गया ताकि भारतीय कंपनियों द्वारा एफसीईबी की जारी को सुकर बनाया जा सके।
	29	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूचि से 'सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड' का नाम निकाल दिया गया।
अक्तूबर	8	• बैंकों के लिए मोबाइल बैंकिंग लेन देन से संबंधित प्रचालनीय दिशानिर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए।
	10	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 11 अक्तूबर 2008 के पखवाड़े से सीआरआर 150 आधार अंक बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत किया गया।
	13	• डेरिवेटिव संबंधी लेनदेनों और डेरिवेटिव संविदाओं की पुनः संरचना के संबंध में अतिदेय भुगतानों के परिसंपत्ति वर्गीकरण की स्थिति संबंधी मुद्दों की जाँच की गई और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये ।
	14	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि म्यूच्युअल फंडों की चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों को सक्षम बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक 14 अक्तूबर 2008 को 20,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए प्राप्त प्रतिभूतियों पर 9 प्रतिशत वार्षिक विशिष्ट स्थिर रिपो दर संचालित करेगा। इसकी विपरीत प्रक्रिया 29 अक्तूबर, 2008 को की जाएगी।
	15	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 15 अक्तूबर, 2008 को कारोबार समाप्ति से एनआरई रुपया जमा और एफसीएनआर(बी) जमा पर ब्याज दर 50 आधार अंक बढ़ाकर क्रमशः लिबोर/स्वैप दर जोड़ 100 आधार अंक और लिबोर/स्वैप दर जोड़ 25 आधार अंक किया गया। • कृषि परिचालन के वित्तपोषण हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा नाबार्ड को अस्थायी चलनिधि समर्थन की योजना की घोषणा की गई है। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि एक अस्थायी उपाय के रूप में बैंक म्यूच्युअल फंडों की चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजन से अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त चलनिधि सहायता का उपयोग कर सकते हैं। यह अतिरिक्त चलनिधि सहायता 14 अक्तूबर 2008 को घोषित विशेष आवधिक रिपो सुविधा के समाप्त होने के 14 दिनों से बंद होगी। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 11 अक्तूबर 2008 के पखवाड़े की शुरूआत से सीआरआर 100 आधार अंक और घटाकर 6.50 प्रतिशत किया गया। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि अगली सूचना तक चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत 20,000 करोड़ रुपए संचयी राशि की विशिष्ट स्थिर आवधिक रिपो दर इस प्रयोजन से प्रतिदिन की जाएगी। तदनुसार, अगली सूचना तक अवशिष्ट राशि प्रतिदिन अधिसूचित की जाएगी। • एडी श्रेणी - I बैंकों को समुद्रपारीय निधियों तक पहुँच प्राप्त करने में अधिकाधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें इस बात की अनुमति दी गई कि वे अब से आगे 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा के मुकाबले अपने प्रधान कार्यालय, समुद्रपारीय शाखाओं और प्रतिनिधियों और *नोस्त्रो* खातों में ओवरड्राफ्टों से पिछली तिमाही की समाप्ति पर विद्यमान अपनी अक्षत टीयर I पूँजी के 50 प्रतिशत अथवा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अथवा उसकी समकक्ष राशि), जो भी अधिक हो, की सीमा तक (विदेशी मुद्रा और पूँजीगत लिखतों में निर्यात ऋण के वित्तपोषण के लिए उधार को छोड़कर) प्राप्त करें।
	20	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि तत्काल प्रभाव से रिपो दर 100 आधार अंक घटाकर 8.0 प्रतिशत किया गया।
	22	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि टेलीकॉम क्षेत्र के लिए अंतिम उपयोग, स्वचालित रूट के अंतर्गत स्वीकार्य अंतिम उपयोग के लिए रुपया/विदेशी मुद्रा व्यय हेतु प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता की सीमा तथा विभिन्न परिपक्वता वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार की सभी लागत सम्मिलित सीमा सहित बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी कतिपय पहलुओं में संशोधन किया गया।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
अक्तूबर	27	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की वैधता अवधि 30 अप्रैल 2009 तक लागू रहेगी। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सूचित किया गया कि एक वर्ष तक तथा एक से तीन वर्ष की अवधि की परिपक्वता वाले व्यापार ऋण की सभी लागत सहित की उच्चतम सीमा को 6 माह लिबोर के ऊपर 200 आधार अंक अधिक निर्धारित किया गया है।
	29	• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि किसी ग्राहक को प्रदत्त अन्य सभी निधिक सुविधाओं को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में मानने के लिए उधारकर्ता-वार परिसंपत्ति वर्गीकरण का सिद्धांत केवल उन्हीं अतिदेयों पर लागू होगा जो वायदा संविदाओं और बिलकुल सादा अदला-बदलियों (स्वैप्स) और ऑप्शनों से उत्पन्न होते हों ।
		ख) सहकारी बैंक
2007		
अप्रैल	4	• राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि आरक्षित नकदी अनुपात को दो चरणों में एक प्रतिशत के आधे अंक से बढ़ाकर 14 अप्रैल 2007 और 28 अप्रैल 2007 को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का क्रमशः 6.25 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत किया जाए। तथापि राज्य सहकारी बैंकों द्वारा उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं पर बनाया जाने वाला आरक्षित नकदी अनुपात 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में विनिर्दिष्ट किया गया है। • 14 अप्रैल 2007 के पखवाड़े की शुरूआत से राज्य सहकारी बैंकों को वर्तमान आरक्षित नकदी अनुपात आवश्यकता के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखे पात्र नकद संतुलन पर 0.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा की जाएगी।
	5	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) दो चरणों में एक प्रतिशत के आधे अंक से बढ़ाकर 14 अप्रैल 2007 और 28 अप्रैल 2007 को उनकी मांग और निवल देयताओं का क्रमशः 6.25 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत किया जाए। तथापि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं पर रखा जाने वाला आरक्षित नकदी अनुपात 3.00 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में विनिर्दिष्ट किया गया है। 14 अप्रैल 2007 के पखवाड़े की शुरूआत से शहरी सहकारी बैंकों को वर्तमान आरक्षित नकदी अनुपात आवश्यकता के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखे नकद संतुलन पर 0.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
	9	• राज्य सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया कि वे ग्राहकों द्वारा रुपए के अंश में जारी चेक/ड्राफ्ट अस्वीकार या/नकारा न जाए।
	12	• सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सामान्यतः जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति से नामन करने के लिए जोर दें। उन्हें यह भी सूचित गया कि यदि वह व्यक्ति ऐसा करने का अनिच्छुक हो तो उसे नामन सुविधा के लाभों से अवगत कराएं। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति तब भी नामन न करना चाहे तो बैंक उससे इस आशय का एक पत्र देने के लिए अनुरोध करे कि वह नामन नहीं करना चाहता। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति फिर भी ऐसा पत्र देने से इन्कार करे तो बैंक को चाहिए कि वह इस तथ्य को खाता खोलने के फार्म पर रिकार्ड करे और यदि उसे अन्यथा पात्र पाया जाए तो खाता खोलने की कार्रवाई आगे बढ़ाए । बैंक किसी भी परिस्थिति में मात्र इस आधार पर खाता खोलने से इंकार नहीं कर सकता कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामन करने से इंकार कर दिया है ।
	17	• शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चत करने के लिए सूचित किया गया कि ग्राहकों द्वारा रुपए के अंश में जारी चेक/ड्राफ्ट अस्वीकार/नकारा न जाए।
	18	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अधिनियमन और 2 अक्तूबर 2006 को इसके अधिसूचित होने के साथ ही विनिर्माण/उत्पादन अथवा सेवाएं उपलब्ध कराने/देने के कार्य में लगे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा आशोधित की गई थी और बैंकों के लिए अन्य नीतिगत उपायों के साथ इन्हें भी कार्यान्वित करना अनिवार्य था। मध्यम उद्यमों को बैंक द्वारा दिए गए उधार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गणना के प्रयोजन से शामिल नहीं किए जाएंगे। बैंकों के बोर्ड माइक्रो, लघु और मध्यम क्षेत्रों को ऋणों के संबंध में मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों की समीक्षा करें तथा एक व्यापक और सुधार नीति तैयार करें तथा उसे यथाशीघ्र अपनाएं।
	19	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सामान्यतः जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति से नामन करने के लिए जोर दें। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति नामन का फार्म भरने से इन्कार करे तो बैंक उसे नामन सुविधा के लाभों से अवगत कराएं। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति तब भी नामन न करना चाहे तो बैंक उससे इस आशय का एक पत्र देने के लिए अनुरोध करें कि वह नामन नहीं करना चाहता। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति फिर भी ऐसा पत्र देने से इन्कार करे तो बैंक को चाहिए कि वह इस तथ्य को खाता खोलने के फार्म पर रिकार्ड करे और यदि उसे अन्यथा पात्र पाया जाए तो खाता खोलने की कार्रवाई आगे बढ़ाए। बैंक किसी भी परिस्थिति में मात्र इस आधार पर खाता खोलने से इंकार नहीं कर सकता कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामन करने से इंकार कर दिया है ।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अप्रैल	24	• राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया कि उन्हें 1 अप्रैल 2007 से निम्नलिखित देयताओं जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 में निर्दिष्ट किया गया है, पर औसत सीआरआर बनाए रखने से छूट होगी। (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड(ङ) के तहत निर्दिष्ट भारत में बैंकिंग पद्धति के प्रति देयताएं; (ii) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआरएल) के साथ संपार्श्विकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता संबंधी लेन देन।
	24	• भारत सरकार ने अपने दिनांक 9 मार्च 2007 के असाधारण गजट अधिसूचना में 1 अप्रैल 2007 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया जब से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 2006 (संशोधन) की धारा 3 के प्रावधान लागू हुए। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (संशोधन) 2006 की धारा 3 के प्रावधानों के लागू होने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) में किया गया संशोधन 1 अप्रैल 2007 से लागू हुआ। तदनुसार, उक्त अधिसूचित तारीख से कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत के वैधानिक सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रही। रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के मद्देनजर समय-समय पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए किसी न्यूनतम और उच्चतम दर के बिना सीआरआर निर्धारित कर सकता है। (2) रिज़र्व बैंक को दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सीआरआर की दर बनाए रखने की यथास्थिति जारी रखी जाए और वर्तमान छूट अगले अधिसूचित होने वाले परिवर्तन तक जारी रहेगी। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंक 14 अप्रैल, 2007 और 28 अप्रैल 2007 के पखवाड़े की शुरूआत से अपनी कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं पर क्रमशः 6.25 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (संशोधन), 2006 की धारा 3 के लागू होने के मद्देनजर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा 1(बी) 1 अप्रैल 2007 से खत्म मानी जाएगी। इस संशोधन के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2007 के पखवाड़े की शुरूआत से रिज़र्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा रखे गए आरक्षित नकदी अनुपात संतुलन पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं करेगा।
	26	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि भारत में 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष परिपक्वता वाली अनिवासी (बाह्य) मीयादी जमाराशि पर ब्याज दर इसी परिपक्वता वाले अमरीकी डॉलर के लिए अप्रैल 2007 के अंतिम कार्य दिवस के लिबोर/स्वैप दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से अधिक हो जाती है और अपने वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकरण की जाती है तब भी तीन वर्ष के लिए उपर्युक्त वर्णित ब्याज दर लागू रहेगी।
	30	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि सोने और चांदी के आभूषणों की जमानत पर एक लाख रुपए तक के ऋणों पर जोखिम भार 125 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। • शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित मानदंडों के संबंध में विवेकसम्मत दिशानिर्देश में ढील और एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।
मई	4	• सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर व्यक्तियों को 20 लाख रुपए तक दिए जाने वाले आवास ऋण के संबंध में पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। चूक के अनुभवों और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए इन जोखिम भारों की एक वर्ष पश्चात समीक्षा की जाएगी। • शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 'डिफॉल्टेड कंपनी' के रूप में घोषित कंपनी/कंपनियों से किसी प्रकार के मौद्रिक लेन-देन की अनुमति बैंक में नहीं दी जाएगी।
	7	• ऐसे राज्यों जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, में स्थित शहरी सहकारी बैंकों अथवा बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे जोखिम सहभागिता के बिना कार्पोरेट एजेंटों के रूप में बीमा एजेंसी का कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं बशर्ते उन शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम निवल मालियत 10 करोड़ रुपए हो और वे ग्रेड III या IV बैंक के रूप में वर्गीकृत न हों।
	16	• राज्य सहकारी बैंकों / जिला सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रिया निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्रक्रियागत और अन्य प्रभारों सहित अति ब्याज न लगाया जाए।
	18	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे समुचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रिया निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्रक्रियागत और अन्य प्रभारों सहित अति ब्याज न लगाया जाए। • सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के अपने प्रयासों को बढ़ाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि विकसित किए जानेवाले साफ्टवेयरों (सोल्यूशनों) में उच्च सुरक्षा हो, लेखा-परीक्षणीय हों और विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गई विभिन्न प्रणालियों के बीच परस्पर-परिचालनीयता की अनुमति देनेवाले व्यापक रूप से स्वीकार्य खुले मानकों का अनुसरण करते हों।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
मई	18	• बैंकों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा और सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं की वापसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नए दिशानिर्देश राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को जारी किए गए।
	24	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि बैंकिंग ऑम्ब्युडसमैन योजना, 2006 में संशोधन किया गया और सभी अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को संशोधित योजना का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया।
	25	• केवाईसी मानदंड/एएमएल मानदंड/सीएफटी वायर अंतरण संबंधित दिशानिर्देश सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए। इसी प्रकार के दिशानिर्देश राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों को 18 मई 2007 को जारी किए गए।
जून	1	• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे ओएसएस सॉफ्टवेअर में उपलब्ध एएलएम मॉड्यूल के जरिए ही संरचनागत चलनिधि विवरण और ब्याज सह संवेदनता विवरण प्रस्तुत करें। संरचनागत चलनिधि विवरण जून 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार अर्थात् 22 जून 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े अंतरात पर तैयार किया जाना है और ब्याज दर संवेदनता विवरण जून 2007 से शुरू होने वाले अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को मासिक आधार पर तैयार किया जाना है। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया कि वे इसमें निर्धारित सूचना की जिम्मेदारी के लिए एक या दो वरिष्ठ अधिकारी/अधिकारियों को अधिकृत करें।
	4	• राज्य में पंजीकृत ऐसे सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जो पर्यवेक्षी और विनियामक समन्वयन के लिए रिज़र्व बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और वे जो बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हो, उन्हें कुछ मानदंड का पालन करने के अधीन अनिवासी बाह्य (एनआरए) खाता खोलने की अनुमति दी गई। यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों को एनआरओ जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई और उनसे अपेक्षित था कि वे निर्धारित समय सीमा में इन खातों को बंद कर दें और दिशानिर्देश में संशोधन करें कि खाता धारक के अनिवासी होने पर ऐसे पुनर्निधारण के कारण वे एनआरओ खाता रख सकते हैं। नए एनआरओ खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, इन खातों में ब्याज के मीयादी क्रेडिट को छोड़कर किसी नए क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये प्रतिबंध उन शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे जिनके पास अधिकृत डीलर श्रेणी I लाइसेंस हो।
	22	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि बैंकों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा और सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं की वापसी से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए गए।
जुलाई	4	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के अपने प्रयासों को बढ़ाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि विकसित किए जानेवाले साफ्टवेयरों (सोल्यूशनों) में उच्च सुरक्षा हो, लेखा-परीक्षणीय हों और विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गई विभिन्न प्रणालियों के बीच परस्पर-परिचालनीयता की अनुमति देनेवाले व्यापक रूप से स्वीकार्य खुले मानकों का अनुसरण करते हों। • नई शाखाएं खोलने/ काउंटर के विस्तार के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी गई। ढील दिए गए मानदंड को पूरा करने वाले सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक दो वर्षों की अवधि के लिए अपने वर्तमान शाखा नेटवर्क के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त शाखा खोलने/ काउंटर का विस्तार करने के लिए पात्र होंगे। सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे विस्तार काउंटर खोलने के लिए पूर्व प्राधिकार प्राप्त करें।
	13	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उनके लिए शेयरदलालों और पण्य दलालों को किसी भी प्रकार की निधि आधारित या गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएं, चाहे वे जमानती हों या बे जमानती, देने की मनाही है। • शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि विलय के गुडविल के परिशोधन के मामले में संशोधन किया गया जो इस प्रकार है - (i) जब विलय/समामेलन के लिए अदा किया गया प्रतिफल, यदि हो तो, अधिग्रहण किए गए कुल आस्ति के बही-मूल्य से अधिक हो जाता है, तब इस अधिक राशि को गुडविल माना जाएगा और पांच वर्ष की अवधि में समतुल्य किश्तों में इसे परिशोधित किया जाएगा; (ii) जब किसी प्रतिफल का भुगतान न किया गया हो लेकिन आस्ति का बही-मूल्य ली गयी देयताओं के बही-मूल्य से कम हो, तब लिए गए आस्ति के बही-मूल्य की तुलना में देयताओं के बही मूल्य की अधिक राशि गुडविल मानी जाएगी और पांच वर्ष की अवधि में समतुल्य किश्तों में इसे परिशोधित किया जाएगा; और (iii) जब किसी प्रतिफल का भुगतान न किया गया हो, लेकिन लिए गए आस्ति का बही-मूल्य लिए गए देयताओं के बही-मूल्य से अधिक हो तब देयताओं के बही-मूल्य की तुलना में आस्ति का बही-मूल्य आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाएगा। • एटीएम-सह डेबिट कार्ड जारी करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए। जिन बैंकों को ऑन साइट / ऑफ साइट एटीएम स्थापित करने का प्राधिकार दिया गया था, वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एटीएम-सह-डेबिट कार्ड का प्रारंभ कर सकते हैं।
	17	• एडी श्रेणी I या II लाइसेंस धारक शहरी सहकारी बैंक मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत एजेंट/सब एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं जो रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो, ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे : (i) बैंक द्वारा

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
		एएमएल/केवाईसी मानदंड का पालन संतोषजनक हो; (ii) नामित बैंक के पास एजेंट के पक्ष में विदेशी मुद्रा जमा (अमरीकी डालर) रखने की मूल राशि 3 दिन औसत पे आउट या 50,000 अमरीकी डालर, जो भी अधिक हो, के समतुल्य हो, (iii) जब शहरी सहकारी बैंक उप-अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा हो, तब एजेंट नामित बैंक पास संबंधित शहरी सहकारी बैंक के सब-एजेंट के पक्ष में 3 दिन औसत पे आउट या 20 लाख रुपए, जो भी अधिक हो, के समतुल्य जमाराशि बनाए रखें; (iv) शहरी सहकारी बैंक सुनिश्चित करें कि प्रतिपूर्ति नहीं किया गया पे आउट, किसी भी समय ओवरसीज /मूल/ एजेंट, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा रखे गए जमाराशि से अधिक न हो; (v) कोई शहरी सहकारी बैंक किसी अन्य शहरी सहकारी बैंक /संस्था को अपना सब-एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता।
जुलाई	31	• सभी अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 4 अगस्त 2007 के पखवाड़े की शुरूआत से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं का 7.00 प्रतिशत पर किया गया।
अगस्त	14	• उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा बफर स्टॉक बनाने के संबंध में जारी की गई अधिसूचना के बारे में शहरी सहकारी बैंकों को अवगत कराया गया। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 1 मई 2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का एक बफर स्टाक बनाया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार चीनी विकास निधि से 378 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करेगी और बैंक को चीनी के मौजूदा स्टाक से बफर स्टाक बनाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न मार्जिन छोड़ने के लिए 420 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सीमा स्वीकृत करनी होगी। यह योजना चलाने हेतु चीनी मिलों के लिए यह जरूरी होगा कि वे उनके पास पहले से ही मौजूद स्टॉक में से बफर स्टाक परिचालनों के लिए निर्धारित स्टॉक को अलग कर दें। बैंक सामान्य सीमाओं में से अलग उप सीमाएं आबंटित करें जो चीनी मिलों द्वारा रखे गए बफर स्टॉक का 100 प्रतिशत मूल्य दर्शाती हों। बफर स्टॉक के सामने 100 प्रतिशत आहरणों का प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप जारी की गई राशि अर्थात मार्जिन राशि के बदले की राशि एक विशेष खाते में जमा की जानी चाहिए। बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि इस खाते की राशि का उपयोग गन्ने का मूल्य चुकाने के लिए किया जाए।
	28	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक ही राज्य में अपने परिचालनीय क्षेत्र में एक शहर से दूसरे शहर में अपनी शाखाएं स्थानांतरित करने के अनुरोधों पर विचार करने का निर्णय लिया हैः (i) नया केंद्र मौजूदा केंद्र के समान अथवा कम आबादी समूह वाला अर्थात 'घट केंद्र की शाखा दूसरे 'घट केंद्र में ही स्थानांतरित की जा सकती है; (ii) अपेक्षाकृत कम बैंक वाले जिले में स्थित शाखा दूसरे केंद्र के अपेक्षाकृत कम बैंक वाले जिले में ही स्थानांतरित की जा सकती है; और (iii) यह स्थानांतरण लागत और कारोबार के अर्थ में बैंक को फायदेमंद होना चाहिए।
	30	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे निर्दिष्ट 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों को होनेवाले ऋण प्रवाह की विशेष रूप से निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदाय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के भीतर न्यायोचित भाग प्राप्त कर सके। उपर्युक्त अपेक्षा अल्पसंख्यकों के लिए 'प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम' के अंतर्गत लक्ष्यों और विकास परियोजनाओं की स्थिति को उद्दिष्ट करने के प्रयोजन से ध्यान में रखी जानी चाहिए। • प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधारों से संबंधित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किए गए जिनमें माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और माइक्रो उद्यमों की संशोधित परिभाषा ध्यान में रखी गई है।
सितंबर	13	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ताओं को दी गई ऋण सुविधाएं उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं जिनके लिए वे स्वीकृत की गई हैं। बैंकों के पास निधियों के अंतिम उपभोग की उचित निगरानी के लिए एक तंत्र होना चाहिए। जहां कहीं विचलन पाया जाए वहां संबंधित उधारकर्ता के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए और बैंक के हित की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जहां खाते अनर्जक आस्तियों में बदलने का संकेत देने लगें वहां शहरी सहकारी बैंक और भी कठोर सावधानियां बरत सकते हैं। ऐसे मामलों में बैंक उधारकर्ताओं के गोदामों का ज्यादा जल्दी-जल्दी निरीक्षण करने का रास्ता अख्तियार करके तथा यह सुनिश्चत करते हुए कि बिक्री आगम बैंक में रखे गए उधारकर्ता के खाते के माध्यम से भेजी जाती हैं तथा दृष्टिबंधक की जगह स्टॉक को गिरवी रखने पर जोर देते हुए अपनी निगरानी प्रणाली को और सशक्त बना सकते हैं। जब कभी नकद ऋण के लिए दृष्टिबंधक रखे गए स्टाक बेचे गए पाए जाएं और उससे प्राप्त आगम ऋण खातों में जमा न किए जाएं तो यह कृत्य सामान्यतः धोखाधड़ी माना जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक को शेष बचे स्टॉक को कब्जे में लेने की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उपलब्ध जमानत के मूल्य में और क्षरण न होने पाए।
	18	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे वेतन अर्जक बैंकों के निदेशक मंडलों में दो पेशेवर निदेशक लेने पर जोर न दें। • सभी शहरी सहकारी बैंकों को गैर-एसएलआर निवेश करने में उन्हें अधिक लचीलापन अनुमत करने की दृष्टि से दिशानिर्देश जारी किए गए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
सितंबर	19	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि जब किसी भी शहरी सहकारी बैंक ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/राष्ट्रीय सहकारी बैंक जिसके यहां वह अपनी जमाराशियां रखता है, से ऋण लिया है तो एसएलआर की गणना के प्रयोजन से उस जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक/राष्ट्रीय सहकारी बैंक से लिए गए ऋण की राशि उन जमा राशियों से काट ली जाएगी चाहे ऐसी जमा राशियों पर ग्रहणाधिकार का उल्लेख किया गया हो या नहीं। उपर्युक्त अनुदेशों से उत्पन्न क1मी, यदि कोई हो, के मामले में एसएलआर अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को छह महीने का समय दिया गया है।
नवंबर	1	• सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को इस निर्ण के बारे में सूचित किया गया कि 10 नवंबर, 2007 के पखवाड़े की शुरूआत से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत किया गया।
	12	• शहरी सहकारी बैंकों को बैंक नोट पर कुछ भी लिखने की मनाही के बारे में सूचित किया गया। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि इस संबंध में वे अपने स्टाफ, ग्राहक और जन सदस्यों को शिक्षित करने का प्रयास करें।
	14	• राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कोई नई घरेलू जमा संग्रहण योजना प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि जमाराशियों, आवधिक जमाराशियों के समयपूर्व आहरण, आवधिक जमाराशियों के तहत ऋणों/अग्रिमों की स्वीकृति पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश का कड़ाई से पालन किया जाय। इससे संबंधित किसी भी उल्लंघन को गंभीर माना जाएगा और उस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है।
	15	• शहरी सहकाररी बैंकों को सूचित किया गया कि कुछ बैंकों द्वारा लॉक-इन अवधि और अन्य प्रतिबंधित विशेषताओं वाली योजनाएं जमाराशि पर ब्याज दर, आवधिक जमाराशियों के समयपूर्ण आहरण, आवधिक जमा राशियों पर ऋण और अग्रिम की मंजूरी पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। इस प्रकार की योजनाओं को बंद करने के लिए सूचित किया गया।
	16	• शहरी सहकारी बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन से स्वर्ण ऋण जिसमें कुछ दिशानिर्देशों के अधीन एकबारगी भुगतान का विकल्प हो, की मंजूरी के लिए नीति निर्धारित करने की अनुमति दी गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि स्वर्ण/ स्वर्ण आभूषणों के संपाश्र्विकृत प्रतिभूति पर मंजूर किए गए फसल ऋण ऐसे ऋणों के लिए वर्तमान आइआरएसी मानदंड से अभिशासित होते रहेंगे।
	20	• राज्य सहकारी बैंकों/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऑटिज्म़, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटार्डेशन और बहुविकलांगताओं वाले विलांग व्यक्तियों के लिए बैंक खाते खोलने/चलाने के प्रयोजनार्थ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी किये गये संरक्षक प्रमाणपत्रों पर भरोसा करें। (तदनुरूप अनुदेश शहरी सहकारी बैंकों को भी जारी किए गए)
	30	• यह निर्णय लिया गया कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के लक्ष्य को घटाकर समायोजित बैंक ऋण (एबीसी) के 40 प्रतिशत तक किया जाए (कुल ऋण और अग्रिम तथा शहरी सहकारी बैंक द्वारा गैर एसएलआर बांड में निवेश सहित) अथवा तुलनपत्र निवेश से इतर (ओबीई) समतुल्य राशि के ऋण के समान, जो कोई भी गत वर्ष के 31 मार्च को अधिक हो, किया जाए।
दिसंबर	4	• राज्य सहकारी/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पहले जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) के ढांचे से बाहर थे। संपूर्ण प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संबंध में उनके पूंजीगत ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सहकारी/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार अपनी जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) का प्रकटीकरण करें और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने तुलनपत्र में इसे 'लेखों पर टिप्पणियां' में प्रकट करें।
2008		
जनवरी	23	• विभिन्न भुगतान प्रणालियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश के निर्धारण की जांच हेतु एक कार्य दल (वर्किंग ग्रुप) गठित किया गया। इस कार्य दल ने सिफारिश की है कि चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान (मारकर) केंद्रों में समाशोधन गृह की सदस्यता विशिष्ट मानदंड पूरा करने वाले लाइसेंसीकृत बैंकों तक सीमित की जाए। इसके अलावा, कार्य दल ने सिफारिश की है कि ऐसी संस्थाएं जो वर्तमान में माइकर केंद्र में समाशोधन गृह के सदस्य हैं लेकिन प्रस्तावित अभिगम मानदंड के अनुसार वे सदस्य होने के पात्र नहीं हैं, उन्हें एक वर्ष के भीतर निर्धारित मानदंड के अनुरूप होना होगा और ऐसा न करने पर उनकी सदस्यता किसी उप-सदस्य (सब-मेम्बर) के तुल्य डाउन ग्रेड कर दी जाएगी। कार्यदल ने सिफारिश की है कि ऐसे बैंकों को तत्काल प्रभाव से किसी उप-सदस्य को प्रायोजित करने से रोका जाए।
	29	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि पूंजी पर्याप्तता मानदंड को प्रयोजन के लिए 'शिक्षा ऋण' को उपभोक्ता ऋण के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। तदनुसार, शिक्षा ऋण पर लागू जोखिम भार 100 प्रतिशत होगा।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
फरवरी	25	• अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को पूर्व में सूचित किया गया कि पहचान का तात्पर्य ग्राहकों को पहचानना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत, दस्तावेजों, डाटा अथवा संतोषजनक जानकारी के माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टि करना है। ग्राहक पहचान के लिए विश्वसनीय जानकारी/दस्तावेजों के प्रकार और प्रवृत्ति की सांकेतिक सूची भी दी गयी थी। यह देखा गया कि कुछ बैंक इस सांकेतिक सूची को व्यापक सूची मानते हैं और इसके परिणामस्वरूप जनता के एक वर्ग को बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति से वंचित रखा जाता है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में जारी आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे कम से छह महीने में एक बार की अवधिकता पर ग्राहकों की जोखिम श्रेणी निर्धारण की समीक्षा करें। फोटो सहित ग्राहक पहचान संबंधी सूचनाओं को अद्यतन बनाने की आवधिकता कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में पांच वर्ष के कम से कम एक बार और अधिक तथा मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में दो वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए। शहरी सहाकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि आतंकवादियों से संबंध रखने वाले संदिग्ध खातों की बेहतर निगरानी के लिए समुचित नीतिगत ढांचे के माध्यम से उचित पद्धति विकसित करें।
	29	• वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंक सामान्यतया भवन निर्माताओं/ठेकेदारों को ऋण मंजूर करने से हिचकिचाते हैं। तथापि, जब ठेकेदार स्वयं की क्षमता पर तुलनागत रूप से छोटे निर्माण कार्य लेते हैं, तब शहरी सहकारी बैंक निर्माण कार्य सामग्री को दृष्टिबंधक रखकर उन्हें वित्तीय सहायता देने पर विचार कर सकते हैं बशर्ते ऐसे ऋण और अग्रिम बैंकों के उप- विधि और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। सुरक्षा के प्रयोजन से इस भूमि का मूल्यांकन संपत्ति के विकसित होने के बाद डिस्काउंटेड कीमत से विकास की लागत घटाकर, करने का आधार निर्धारित मानदंड के अनुरूप नहीं है। इस संबंध मं शहरी सहकारी बैंकों को स्पष्ट किया गया कि भवन निर्माताओं/ठेकेदारों को आवास परियोजना के रूप में भी भूमि अधिग्रहण के लिए निधि आधारित/गैर-निधि आधारित सुविधाएं न दिए जाएं।
मार्च	3	• देश के कुछ क्षेत्रों में एवियन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) फैलने की घटनाओं और इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा वित्तपोषित कुक्कुट यूनिटों के पक्षियों को मारने के कारण आय में क्षति के मद्देनजर शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उन्हें निम्नलिखित कुछ सुविधाएं देने पर विचार करें : (i) कार्यशील पूंजी ऋण और साथ ही सावधि ऋण की किश्त और ब्याज जो बर्ड फ्लू फैलने की तारीख अर्थात 31 दिसंबर 2007 या इसके बाद भुगतान के लिए बकाया हो, के मूलधन और ब्याज तथा शेष अदत्त राशि को सावधि ऋण में बदल दिया जाए। इस प्रकार के परिवर्तित ऋण एक वर्ष (पुर्नभुगतान का पहला वर्ष अधिस्थगन अवधि बीच जाने के बाद तय की जाए) तक के प्रारंभिक अधिस्थगन के साथ तीन वर्षों की अवधि तक के अनुमानित भावी अंतर्प्रवाह पर आधारित किश्तों में वसूल किए जाएं; (ii) सावधि ऋण के शेष भाग का पुनर्निर्धारण यूनिट के नकद प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता को देखते हुए उसी प्रकार एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि तक किया जाए; (iii) पुनर्निर्धारण/परिवर्तन 30 अप्रैल, 2008 या इसके पहले पूरी कर ली जाए; (iv) पुनर्निर्धारित/परिवर्तित ऋण को चालू बकाया माना जाए; (v) उपर्युक्त परिवर्तन के पश्चात उधारकर्ता आवश्यकता आधारित नए ऋण के लिए पात्र होगा; (vi) उपर्युक्त राहत ऐसे सभी कुक्कुट उद्योग के खातों को दिए जाएं जिन्हें 31 दिसंबर 2007 को मानक खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
	7	• टियर I बैंक की परिभाषा में संशोधन किया गया। नई परिभाषा के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों की निम्नलिखित तीन श्रेणियां टियर I बैंक के रूप में मानी जाएंगी : (i) यूनिट बैंक अर्थात एक शाखा/ प्रधान कार्यालय वाले बैंक और ऐसे शहरी सहकारी बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपए से कम हो और जिनकी शाखाएं किसी एक जिले में स्थित हो; (ii) शहरी सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि 100 करोड़ रुपए से कम हो और इसकी शाखाएं एक से अधिक जिले में हो बशर्ते इसकी शाखाएं निकटस्थ जिलो में हो और एक जिले की शाखाओं की जमाराशि और अग्रिम क्रमशः बैंक की कुल जमाराशि और अग्रिम का कम से कम 95 प्रतिशत हो; और (iii) 100 करोड़ से कम जमाराशि वाले शहरी सहकारी बैंक जिनकी शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में हो, लेकिन बाद में जिले की पुनर्संरचना के कारण वे बहुल जिले हो गए हों। सभी अन्य बैंक टियर II बैंक हैं। 100 करोड़ रुपए जमाराशि का आधार संबंधित वित्तीय वर्ष के पखवाड़े के निवल मांग और मीयादी देयताओं और अग्रिमों के औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
	10	• सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2008 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं जैसे बैंक/प्राथमिक व्यापारी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मध्य होनेवाले एक करोड़ रुपए और उसे अधिक के भुगतान संव्यवहारों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों जैसे मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के मध्य एक करोड़ और उससे अधिक रुपए के भुगतानों को भी 1 अप्रैल 2008 से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
मार्च	12	• शहरी सहकारी बैंकों के मामलों में किसी भी प्रयोजन के लिए अपने बैंक के एटीएम और बैलेंस की जानकारी के लिए अन्य बैंकों के एटीएम का प्रयोग करने पर ग्राहक से किसी शीर्ष के तहत कोई प्रभार न लिया जाए तथा नकद आहरण के लिए किसी अन्य बैंक एटीएम का प्रयोग करने पर 20 रुपए का प्रभार वसूला जाए जिसमें सभी कुछ शामिल हो और किसी भी अन्य शीर्ष के तहत कोई अन्य प्रभार न वसूला जाए चाहे कितनी भी राशि आहरित की गई हो। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके तथा विदेश स्थित एटीएम से नकदी के आहरण के लिए सेवा प्रभार का निर्धारण बैंक स्वयं कर सकते हैं।
अप्रैल	2	• टियर I शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनर्जक आस्ति हेतु 180 दिन ऋण चूक मानदंड एक और वर्ष अर्थात 31 मार्च 2009 तक बढ़ाया गया और संदिग्ध श्रेणी के अवमानक आस्ति के वर्गीकरण के लिए 12 महीने की अवधि 1 अप्रैल 2008 के बजाय 1 अप्रैल 2009 से लागू होगी।
	15	• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि एक व्यापक और पारदर्शी नीति बनाएं जिसमें स्थानीय/बाहरी चेकों का तत्काल क्रेडिट स्थानीय/बाहरी उपकरणों और विलंबित वसूली के ब्याज भुगतान के लिए समय-सीमा समाशोधन व्यवस्था के लिए उनकी तकनीकी क्षमता, प्रणाली प्रक्रिया और प्रतिनिधि के जरिए वसूली हेतु अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं पर विचार करना शामिल हो। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे अपनी वर्तमान व्यवस्थाओं और क्षमताओं की समीक्षा करें और वसूली अवधि कम करने के लिए कोई योजना तैयार करें। छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा पूरी तरह होनी चाहिए। इस नीति में शहरी सहकार बैंकों को स्वयं के द्वारा निर्धारित मानकों का पालन में होने वाली देरी के कारण ब्याज के भुगतान के रूप में अपनी देयताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए और भारतीय बैंक संघ की नीति और उनके द्वारा बनाई गई जमा राशि संबंधी नीति के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। ब्याज भुगतान के रूप में क्षतिपूर्ति, जहां आवश्यक हो, ग्राहक से कोई दावा मिले बिना की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हालत में पहले की तुलना में ग्राहक की स्थिति और खराब न हो।
	21	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि अपने बोर्ड में सदैव 'बैंकिंग अनुभव (मध्य/वरिष्ठ प्रबंधन स्तर) या संबंधित व्यावसायिक अर्हता अर्थात बैंक लेखा/लेखा परीक्षा अनुभव युक्त सीए वाले कम से कम दो उपयुक्त व्यावसायिक निदेशकों को शामिल करें। इसमें निर्धारित व्यावसायिक निदेशकों के दायरे में संशोधन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि विधि, लेखा या वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक अर्हता वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए 'व्यावसायिक निदेशकट की परिधि में विस्तार किया जाए। शहरी सहकारी बैंकों का सूचित किया गया कि वे तदनुसार अपने बैंकों के उप-विधि में संशोधन करने के लिए कदम उठाएं और उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करें।
	22	• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया कि दो चरणों में आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) एक प्रतिशत के आधे अंक से बढ़ाकर 26 अप्रैल 2008 और 10 मई 2008 को क्रमशः उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं का 7.75 प्रतिशत और 8.00 प्रतिशत किया जाए।
	30	• चलनिधि की स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी अनुपात 24 मई 2008 के पखवाड़े की शुरुआत से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 8.25 प्रतिशत किया जाए।
मई	2	• इन्फिनेट से संबंधित अपेक्षित आधारभूत संरचना वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों और इसमें सदस्यता पाने के इच्छुक बोर्ड को इन्फिनेट की सदस्यता मंजूर की जाए। उपर्युक्त मानदंडों के अधीन गैर लाइसेंसी शहरी सहकारी बैंकों को भी तब तक इन्फिनेट की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी गई जब तक कि लाइसेंस हेतु उनका आवेदन रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकार नहीं कर दिया जाता। किसी भी प्रकार सदस्यता के कारण गैर लाइसेंसी शहरी सहकारी बैंक बाद की तारीख में बैंकिंग लाइसेंस का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे और लाइसेंस हेतु उनके आवेदन पर मेरिट के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।
	12	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि गुम हुए व्यक्तियों के दावों के निपटान के लिए कानूनी राय और प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद एक नीति निर्धारित करें। इसके अलावा, आम आदमी को होने वाली अनुचित कठिनाई और असुविधा को दूर करने की नितांत आवश्यकता के मद्देनजर शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए वे एक ऐसी तय सीमा निर्धारित करें जिसमें (I) पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी एफआइआर और गैर अनुमार्गणीय रिपोर्ट और (II) क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना गुम हुए व्यक्तियों के दावों का निपटान हो जाए।
	13	• सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को निदेश दिया गया कि वे ग्राहकों को किसी भी प्रयोजन के लिए अपने बैंक का और बैलेंस की जानकारी के लिए किसी अन्य बैंक के एटीएम का निःशुल्क प्रयोग करने की अनुमति दें। इसके अलावा, बैंकों को ये अनुदेश दिए गए कि तत्काल प्रभाव से गैर-ग्राहकों के द्वारा नकद आहरण के प्रभार को 20 रुपए तक कम करें और 1 अप्रैल 2009 से इसे निःशुल्क बनाएं।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
मई	15	• यह निर्णय लिया गया कि टियर II शहरी सहकारी बैंकों को वर्तमान विवेकशील निवेश सीमा के अधीन वैयक्तिक आवास ऋण के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा पहले के किसी रिहायसी इकाई के लिए प्रति हिताधिकारी 25 लाख रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 50 लाख रुपए तक करने की अनुमति दी जाए। • ग्रेड III और IV में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंक, और वे जो बहु राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के तहत या ऐसे राज्यों में पंजीकृत हों जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, के अलावा अन्य शहरी सहकारी बैंकों को जोखिम भागीदारी के बिना कारपोरेट एजेंट के रूप में बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गई जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है। ऐसे बैंकों के लिए पूर्व में लागू न्यूनतम निवल मालियत मानदंड हटा दिया गया।
	23	• माननीय वित्त मंत्री के वर्ष 2008-09 के बजट भाषण के अनुसार, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए एक ऋण माफी और ऋण राहत योजना अधिसूचित की गई। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई 30 जून 2008 तक पूरी की जाए।
	26	• वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार ऑन-साइट एटीएम को खोलने के लिए पात्रता मानदंडों को उदार बनाया गया। तदनुसार, राज्य में दर्ज शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत है और श्रेणी III और IV के अलावा अन्य श्रेणी में वर्गीकृत हैं, ऐसे शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर ऑनसाइट एटीएम स्थापित कर सकते हैं। • वेतन अर्जकों के बैंक (एसईबी) के सदस्यता की प्रकृति और ऋण दायरे तथा बैंकों और उनके संघों के प्रतिवेदनों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि वेतन अर्जकों के टियर II बैंक मानक आस्ति के सम्मुख वर्तमान दो प्रतिशत के स्तर के बजाय 0.4 प्रतिशत की दर से वैयक्तिक ऋण दे सकते हैं। तथापि ऐसे बैंकों के लिए पूंजी बाजार निवेश, वाणिज्यिक रियल स्टेट ऋण और जमा राशि स्वीकार न करने वाली सर्वांगी महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वितरित ऋण और अग्रिम को पूरा करने वाले ऋण और अग्रिमों पर दो प्रतिशत प्रावधानीकरण आवश्यकता जारी रहेगी। • ऐसे महिला शहरी सहकारी बैंक जो सामान्य क्षेणी के बैंकों के वर्तमान प्रविष्टि आधार मानदंड के अनुरूप हों, को बैंकों के संबंधित उप-विधि के अधीन उनकी कुल नियमित सदस्यता के 25 प्रतिशत की सीमा तक पुरुष सदस्यों को सदस्य बनाने की अनुमति दी गई।
जून	2	• कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के सुचारु कार्यान्वयन हेतु जारी परिचालनगत अनुदेश के तदनुसार, शहरी सहकारी बैकों को सूचित किया गया कि बैंक अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से 30 सितंबर 2008 तक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में संपूर्ण बैंक के लिए एकबारगी समेकित दाव प्रस्तुत करें। दावों की प्रतिपूर्ति डाटा रखरखाव, कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी, दावों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के बारे में भी दिशानिर्देश जारी किये गये।
	4	• वर्षों के दौरान यह देखा गया है कि भारत सरकार ने समय-समय पर कई ऐसी विशेष प्रतिभूतियां जारी की हैं जो राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए लागू एसएलआर आवश्यकता के अनुपालन हेतु पात्र नहीं होती हैं। ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों का नियमन अलग नियमों और शर्तों से होता है और इस पर उच्च स्तर का अनकदी दायरा लागू होता है । वर्तमान में इस प्रकार की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के मूल्यन के संबंध में फिम्मडा ने दिशानिर्देश जारी किये हैं बशर्ते इन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर अर्जित लाभ से 50 आधार अंक अधिक लगाकर किया जाए। इन विशेष प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के मामले की जांच की गई । यह निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन के सीमित प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा सीधे ही हिताधिकारी संस्थाओं को जारी सभी गैर-एसएलआर विशेष प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ से 25 आधार अंक अधिक के दायरे पर किया जाए। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रभावी होगा।
	12	• शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि तृतीय पक्ष चेक सहित चेक बुक सुविधा, एटीएम, नेट बैंकिंग, लॉकर, फुटकर ऋण, क्रेडिट कार्ड, इत्यादि सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी पक्षपात और चूक के दृष्टिहीनों को दी जाए।
	16	• शाखा लाइसेंस मानदंड को उदार बनाया गया। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में स्थित सुव्यवस्थित और वित्तीय रूप से मजबूत तथा बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ऑफ-साइट एटीएम सहित शाखा विस्तार के अनुमोदन पर कुछ शर्तों के अधीन उनके वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर विचार किया जाएगा। • पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से जोखिम भार के अनुप्रयोग के आलोक में आवास क्षेत्र में बैंक ऋण की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार ऐसे ऋणों पर 50 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
जून	17	• कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के सुचारु कार्यान्वियन के लिए शहरी सहकारी बैंकों को कुछ अतिरिक्त अनुदेश जारी किए गए। एक बारगी निपटान ओटीएस/ राहत के लिए पात्र 'अन्य किसानोंट द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप शहरी सहकारी बैंकों को अग्रेषित किया गया। उन्हें छोटे और सीमांत किसानों को ऋण माफ कर दिया गया है के आशय तक पात्र राशि की माफी के बाबत एक प्रमाणपत्र जारी करने और विशेष रूप से इस योजना के तहत इस प्रकार माफ की गई पात्र राशि का उल्लेख करने और किसानों से पावती लेने के लिए सूचित किया गया। 'अन्य किसानोंट को भी एक बारगी भुगतान राहत मंजूर करने पर इस आशय तक का एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए कि उधारदात्री संस्था के संतोष तक ऋण राशि का निपटान हो चुका है और विशेष रूप से पात्र राशि और किसानों द्वारा अदा की गई राशि का उल्लेख किया जाए । ऐसे प्रमाणपत्रों के प्रारूप शहरी सहकारी बैंकों को अग्रेषित किए गए।
	24	• इरादतन चूककर्ता की परिभाषा में विस्तार किया गया ताकि ऐसे यूनिटों को शामिल किया जा सके जिन्होंने ऋणदाता को देय अपने भुगतान / पुनर्भुगतान बाध्यता को पूरा करने में चूक की हो और उनके द्वारा कोई सावधि ऋण लेने के प्रयोजन से दी गई चल स्थिर आस्ति या अचल संपत्ति बैंक / ऋणदाता की जानकारी के बिना खत्म या हटा दी हो।
	26	• सभी अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि दो चरणों में आरक्षित नकदी अनुपात 50 आधार अंक बढ़ाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं का 8.75 प्रतिशत किया जाए आर्थात् 05 जुलाई 2008 और 19 जुलाई 2008 के पखवाड़े की शुरुआत से क्रमशः 8.50 प्रतिशत और 8.75 प्रतिशत।
	30	• शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के रिपोर्टिंग प्रारूप में संशोधन किया गया। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया कि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संशोधित प्रारूप में डाटा भेजें। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया कि वे ऐसे विवरण का पहला सेट 15 अप्रैल 2009 तक भेंजे।
जुलाई	2	• लेन देन निगरानी प्रणाली के भाग के रूप में शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे जोखिम वर्गीकरण और ग्राहक की अद्यतन प्रोफाइल के अननुरूप लेन देन होने पर सतर्क करने वाले उपयुक्त सॉफ्टवेअर एप्लीकेशन तैयार करें। उन्हें नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से वित्तीय इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया (एफआइयू-इंडिया) को प्रेषित करने के लिए तत्काल पहल करने हेतु सूचित किया गया। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वित्तीय इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया की वेबसाइट (http://fiuindi.gov.in) पर उपलब्ध नकदी लेनदेन रिपोर्ट/संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट की संपादनयोग्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा की सहायता से गैर-कंप्यूटरीकृत शाखा के आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक फाइल में प्रेषित करने की व्यवस्था करें। आगे यह भी स्पष्ट किया गया कि उनके प्रधान कार्यालय की शाखाओं द्वारा मासिक आधार पर नकद लेनदेन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और फिर प्रधान अधिकारी निर्धारित समय सीमा आर्थात् उत्तरवर्ती महीने की 15 तारीख तक प्रत्येक महीने नकद लेनदेन रिपोर्ट वित्तीय इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसे पुनः दोहराया गया कि नकद लेनदेन रिपोर्ट में रिपोर्ट की जानेवाली 10 लाख रुपए की कट-ऑफ सीमा समग्र रूप से जुड़े नकद लेनदेन के लिए भी लागू होगी। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उनके द्वारा वित्तीय इंटेलीजेंस यूनिट-इंडिया को प्रेषित की गई संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) की गुप्त सूचना ग्राहक को न दी जाए। शहरी सहकारी बैंक ग्राहकों द्वारा इस प्रकार के लेनदेन करने के सभी प्रयासों की सूचना संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट में तब भी दें जब ग्राहक द्वारा लेनदेन पूरा न किया हो और चाहे लेनेदेन की राशि कुछ भी हो। यदि शहरी सहकारी बैंकों के पास यह विश्वास करने का मजबूत आधार हो कि सामान्यतया लेनदेन में अपराध की कोई प्रक्रिया शामिल है, चाहे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग 'खट में निर्धारित अपराध के लिए परिकल्पित लेनदेन की राशि और / या निम्नतम सीमा कुछ भी, तब बैंक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। शहरी सहकारी बैंकों को अपने कर्मचारियों में अपने ग्राहक को जाने / धनशोधन निवारण के बारे में जागरूक करने और संदिग्ध लेनदेन के संबंध में सतर्क करने हेतु सूचित किया गया । वे बैंकों के लिए आइबीए गाइडेंस नोट, 2005 के परिशिष्ट ङ में वर्णित संदिग्ध गतिविधियों की निर्देशात्मक सूची पर भी विचार कर सकते हैं।
	3	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के संदर्भ में भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'यदि ऋण कुक्कुट व्यवसाय या भेड़ पालन या सुअर बाड़ा या किसी पशु व्यवसाय के लिए हो और ऋण राशि का कुछ भाग छप्पर, बाड़ा, घेरा आदि के लिए उपयोग किया जाए, तब समूची एकीकृत ऋण राशि की गणना 'पात्र राशि' जैसा कि इस योजना में परिभाषित है, में नहीं की जाएगी। यदि बाड़ा या छप्पर आदि लगाने के लिए यह कोई स्टैंडलोन ऋण हो, तब उक्त बातें शामिल नहीं की जाएगी ।ड तदनुसार, इस योजना के संदर्भ में पूर्व परिपत्र में संशोधन किया गया।
	8	• शहरी सहकारी बैंकों के समूहबद्ध संगठन (अम्ब्रेला ऑरगनाइजेशन) पर गठित कार्यदल और पुनरूस्थान निधि के गठन की पहली बैठक रिज़र्व बैंक में हुई।
	9	• राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि सभी बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि थर्ड पार्टी चेकों सहित चेक बुक सुविधा, एमटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, फुटकर ऋण, क्रेडिट कार्ड, आदि सुविधाएं अनिवार्य रूप से बिना किसी भेदभाव के अंध व्यक्तियों को भी दी जाए। राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपनी सभी शाखाओं को भी सूचित करें कि वे इन विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए अंध व्यक्तियों को सभी संभव सहायता दें।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
जुलाई	15	• पूंजी निधियां (टीयर I और टीयर II) जुटाना सुगम बनाने के प्रयोजन से शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अधिमान शेयर अर्थात (i) स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस), (ii) स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), (iii) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस) और (iv) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) जारी कर सकते हैं। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों को यह भी अनुमति दी गयी है कि वे पांच वर्ष से कम नहीं अवधि वाली मीयादी जमाराशियां जुटा सकते हैं जो टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने के लिए पात्र होंगी।
	31	• यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी अनुपात 25 आधार अंक बढ़ाकर 30 अगस्त, 2008 के पखवाड़े की शुरुआत से उनके निवल मांग और मियादी देयताओं का 9 प्रतिशत किया जाए।
अगस्त	12	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया कि जनता को धोखा देने के प्रयोजन से समय-समय पर काल्पनिक लॉटरी और मुद्रा प्रचालन प्रकाश में आया है। यह सपष्ट किया गया कि विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत लॉटरी योजना में भागीदारी हेतु किसी भी रूप में किया गया धन-प्रेषण प्रतिबंधित है। इसके अलावा, विभिन्न नामों के तहत फैले लॉटरी जैसी योजनाओं जैसे, इनाम राशि / पुरस्कार आदि प्राप्त करने के प्रयोजन से मुद्रा प्रचालन योजना या धनप्रेषण, में भागीदारी हेतु धन-प्रेषण करने में भी ये प्रतिबंध लागू होंगे।
	28	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सुनिश्चित करें कि उनके ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का निपटान करने के लिए एक उचित मैकेनिज़म स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का निपटारा उचित और त्वरित गति से किया जाता हो। उक्त प्रयोजनार्थ शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सुनिश्चित करें कि (i) उनकी शाखाओं में मुख्य स्थानों पर शिकायत पंजी रखवाई जाती है,ताकि ग्राहकों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने में सुविधा हो; (ii) शिकायत प्राप्त करने के बाद उनकी पावती देने की प्रणाली काम करती हो; (iii) विभिन्न स्तरों पर प्राप्त की गई शिकायतों का समाधान करने के लिए एक निर्धारित समयावधि दी जाती हो; (iv) उस अधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता इत्यादि प्रदर्शित किया जाता हो जिससे शिकायतों के निपटारे के लिए संपर्क किया जा सके। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के मामले में यदि शिकायतों का समाधान एक माह के भीतर नहीं किया जाता तो उसकी रिपोर्ट बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत संबंधित नोडल अधिकारी, जिसे शिकायत की अद्यतन स्थिति बताई जानी चाहिए, को भेजी जानी चाहिए। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे ग्राहकों को उसके इन अधिकारों की जानकारी दें कि वह यदि बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो मामले से संबंधित बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करे तथा संबंधित बैंकिंग लोकपाल के ब्यौरे शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराएं।
सितंबर	1	• 'निष्क्रिय खातों' के अलग लेजर में हस्तांतरित वर्तमान खातों के संबंध में ग्राहकों / कानूनी वारिस की खोज-खबर हेतु, शहरी सहकारी बैंकों को विशेष मुहिम शुरू करने के लिए सूचित किया गया। • वर्ष-दर-वर्ष बैंकों में अदावी जमाराशियों में होती वृद्धि तथा ऐसी जमाराशियों के साथ जुड़े परंपरागत जोखिम को देखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे उन खाताधारकों का पता लगाएं जिनके खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे ऐसे खातों की वार्षिक पुनरीक्षा करे जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ। शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे ग्राहकों को इसके बारे में लिखकर सूचित करें तथा इसके कारणों का पता लगाएं। स्थान विशेष से ग्राहक का स्थानांतरण होने के मामले में बैंक को चाहिए कि वह नए बैंक खातों के ब्यौरे पता करे जिसमें विद्यमान खाते का शेष स्थानांतरित किया जाना है। शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे ग्राहकों के परिचयदाता अथवा नियोक्ता आदि के माध्यम से ग्राहकों अथवा उनके कानूनी वारिस, मृत्यु हो जाने की दशा में, का पता लगाए। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क वसूल न करें। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षकों/सांविधिक परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा निष्क्रिय खातों के लेजर में पड़ी जमाराशियों की उचित लेखा परीक्षा करवाएं। बचत खाते में नियमित आधार पर ब्याज जमा करें भलेही खाता सक्रिय रहा हो अथवा निष्क्रिय। यह भी परिपक्वताप्राप्त सावधि जमाराशि का भुगतान न किया गया हो तो उस पर ब्याज का भुगतान बचत बैंक की दर से करना होगा।
	5	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे दावों की प्रतिपूर्ति तथा कृषि ऋण माफी राहत योजना 2008 के अंतर्गत दावों की लेखा परीक्षा के लिए प्रक्रिया में कतिपय आशोधन करें। कोई भी दावा 'माफीट अथवा 'राहतट के लिए तभी दाखिल किया जा सकता है जब उसके लाभ लाभार्जनों को वास्तव में दे दिए गए हों। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अधिक से अधिक 31 अक्तूबर 2008 (ऋण माफी के लिए) तथा 30 सितंबर 2009 (ऋण राहत के लिए) तक योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त जारी किए जाने के लिए रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ' प्राथमिकट दावे भेजें। इसके पश्चात सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वर्ष 2009-10 (ऋण राहत के लिए) के लिए वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान प्राथमिक दावों की नमूना जांच करवानी चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों को यह कार्य बैंकों द्वारा विशेष असाइनमेंट के रूप में सौंपा जा सकता है। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दावों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए एक प्रतिनिधि नमूना, जिसमें कम से कम 20 प्रतिशत शाखाओं और खातों को सम्मिलित किया गया हो, की जांच की जानी चाहिए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
सितंबर	9	शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सुझाव दिया गया था कि वे भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) की सदस्यता प्राप्त करने पर विचार करें।
	17	• टीयर I शहरी सहकारी बैंकों- को चलनिधि जोखिम प्रबंध पर दिशानिर्देश जारी किए गए। उनको यह भी सूचित किया गया कि वे मार्च/जून/सितंबर/दिसंबर के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को अलग से रिटर्न तैयार करें और उसे अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से एक माह के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करें। रिटर्न्स का ऐसा पहला सेट दिसंबर 2008 के अंतिम शुक्रवार के दिन बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एक अथवा दो वरिष्ठ अधिकारी को पदनामित और प्राधिकृत करें जो इन रिटर्न्स का सही-सही समेकन करने तथा उनकी समय पर प्रस्तुति करने तथा उनमें दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य होने के लिए जिम्मेदार होगा। • यह निर्णय किया गया कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, जिनके लिए दिशानिर्देश पहले से ही लागू हैं, के अतिरिक्त अन्य सभी टीयर II शहरी सहकारी बैंकों को भी चाहिए कि वे प्राप्त किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) को अपनाएं। शहरी सहकारी बैंक, जिन्होंने अधिक कुशल प्रणाली अपनायी हुई है, दिशानिर्देश में सुझाए गए एएलएम प्रणाली की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रचलित प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त करें। आरंभिक तौर पर शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनी देयता और आस्ति के कम से कम 60 प्रतिशत को इसके दायरे में लाना सुनिश्चित करना चाहिए। जहां तक उनकी 40 प्रतिशत आस्ति देयताओं का प्रश्न है, बैंक अपने आकलन पर आधारित स्थिति में उसे सम्मिलित करें। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने लिए एक अंतरिम लक्ष्य तय करें ताकि 1 अप्रैल 2010 तक उनके 100 फीसदी कारोबार को उसके दायरे में लाया जा सके। एक बार प्रणाली के स्थिर हो जाने पर उन्हें चाहिए कि वे अधिक कुशल तकनीक को अपनाएं। आरंभिक तौर पर संरचनात्मक चलनिधि का विवरण मार्च/ जून/ सितंबर/ दिसंबर के अंतिम शुक्रवार को तैयार किया जाए और उसे एएलसीओ (आस्ति-देयता समिति) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। रिपोर्टिंग प्रणाली को दिसंबर 2008 से पाक्षिक आधार पर करने का इरादा किया गया है। बैंक के शीर्ष प्रबंध द्वारा विभिन्न परिपक्वताओं के लिए सहनीयता स्तर निर्धारित किया जाएगा जो बैंक की आस्ति-देयता प्रोफाइल, लगातार रहनेवाली जमाराशि आधार की सीमा, नकदी आप्रवाह आदि पर निर्भर करेगा। नकदी आप्रवाह का मिलान न होने की दशा में बैंक का प्रबंध उसे न्यूनतम स्तरों पर रखने की कोशिश करेगा। रिज़र्व बैंक का उद्देश्य है 1 अप्रैल 2010 से कड़ाईपूर्वक सहनीयता स्तरों को लागू करना। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे ब्याज दर संवेदन विवरण में केवल रुपया आस्ति, रुपया देयता और तुलन पत्र से इतर स्थितियों को रिपोर्ट करें। शहरी सहकारी बैंकों से उम्मीद थी कि वे 1 अप्रैल 2010 से मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली अपना लेंगे। शहरी सहकारी बैंकों को 1 से 90 दिनों की समयावधि में अपनी देयता की निगरानी डाइनेमिक आधार पर करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रतीकात्मक फार्मेट दिया गया था। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ऐसा पहला एएलम विवरण एएलसीओ/शीर्ष प्रबंध को दिसंबर 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्रस्तुत करें। • शहरी सहकारी बैंक, जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I और श्रेणी II के रूप में मान्यताप्राप्त हैं, सेबी द्वारा मान्य नामित करेंसी फ्यूचर एक्स्चेंजेस में अपनी निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों की हेजिंग के प्रयोजनार्थ भागीदारी कर सकते हैं। • शहरी सहकारी बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया गया था कि वे अधिक ठोस एएलएम दिशानिर्देशों का पालन करें और साथ ही संरचनात्मक चलनिधि के विवरण में पहली बार के बकेट (वर्तमान में 1-14 दिन) को तीन बार बकेट में विभाजित करें अर्थात अगले दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिन। संशोधित फार्मेट 1 जनवरी 2009 से लागू होगा।
	18	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे दिए गए फार्मेट के अनुसार ब्याज दरों और सेवा प्रभारों से संबंधित सूचनाओं का प्रदर्शन अपने परिसर में करें और अपनी वेबसाइटों पर भी उसे डालें ताकि ग्राहकों को वांछित सूचना एक नजर में ही प्राप्त हो जाए।
	19	• अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज की दरों में 16 सितंबर 2008 से संशोधन किया गया है। 1-3 वर्षीय परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियों (एनआरई) की ब्याज दर अगस्त 2008 माह के अंतिम कार्य दिन को तदनुरूपी परिपक्वता के लिए लिबोर/स्वैप दर जोड़ 50 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन वर्षीय जमा के लिए उपर्युक्त रूप से निर्धारित ब्याज दरें एनआरई जमाराशियों, जिनका नवीयन उनकी वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद किया गया है, पर भी लागू होंगी। • सभी परिपक्वताओं की विदेशी करेंसी अनिवासी (बी) (एफसीएनआरबी) जमाराशियों पर 16 सितंबर 2008 से ब्याज का भुगतान लिबोर/स्वैप दर घटाव 75 आधार अंक के विरुद्ध लिबोर/स्वैप दर घटाव 25 आधार अंक की सीलिंग दर के भीतर किया जाएगा। • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे यदि अपने उधारकर्ताओं से ब्याज कर का पूर्णांकन करते समय अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं तो वे उक्त राशि को सोशल जस्टिस और एमपॉवरमेंट मंत्रालय द्वारा निर्मित न्यास में अभावग्रस्त लोगों के लाभार्थ जमा करें। निर्णय किया गया था कि शेष बचे टीयर I वाले शहरी सहकारी बैंकों, जिनकी जमाराशियां 50 करोड़ रुपए से कम हैं, को सरलीकृत ऑफ साइट सर्वेलेंस (ओएसएस) रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध करायी जाए। इस प्रणाली के अंतर्गत 5 रिटर्न्स का एक सेट आता है जिसमें से 4 तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत करना होता है तथा 5वीं रिटर्न, जो बैंक प्रोफाइल के बारे में होती है, वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जानी होती है। बैंक प्रोफाइल की

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
		वार्षिक रिटर्न प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को तैयार की जाती है तथा अन्य चार तिमाही रिटर्न प्रत्येक वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंत में तैयार की जानी होती हैं। शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक तिमाही / वर्ष के अंत से 1 माह के भीतर अपनी सभी रिटर्न रिज़र्व बैंक के रिटर्नों को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करें। 31 दिसंबर 2008 की तिमाही से यह किया जाना है तथा पहली तिमाही रिटर्न की प्रस्तुति के लिए 3 माह अर्थात 31 मार्च 2009 तक का समय दिया गया है।
सितंबर		• निर्णय किया गया था कि शेष बचे टीयर II वाले शहरी सहकारी बैंकों, जिनकी जमाराशियां 50 करोड़ रुपए से कम हैं, को सरलीकृत ओएसएस रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध करायी जाए । इस प्रणाली के अंतर्गत 8 रिटर्न्स का एक सेट आता है जिसमें से 7 तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत करनी होती है तथा 8वीं रिटर्न, जो बैंक प्रोफ़ाइल के बारे में होती है, वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जानी होती है। बैंक प्रोफ़ाइल की वार्षिक रिटर्न प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को तैयार की जाती है तथा अन्य सात तिमाही रिटर्न प्रत्येक वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंत में तैयार की जानी होती हैं।शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक तिमाही / वर्ष के अंत से 1 माह के भीतर अपनी सभी रिटर्नों को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करें। 31 दिसंबर 2008 की तिमाही से यह प्रारंभ किया जाना है।
	26	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे यह देखें कि उनकी शाखाएं ऐसे परिसर में रहकर अपना कारोबार करती हैं जिसके लिए जीवित और वैध किरायानामा करार किया गया है और जो परिसर के मालिक और बैंक के बीच किसी प्रकार के विवाद से मुक्त है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को विनिर्दिष्ट फार्मेट में 15 अक्तूबर 2008 तक उन शाखाओं/ कार्यालयों की रिपोर्ट करें जो ऐसे परिसर में रहकर कारोबार कर रही हैं जिसके संबंध में मकान मालिक के साथ विवाद चल रहा है।
	30	• एसएलआर के रूप में डीसीसीबी/एससीबी में जमाराशियों के लेखांकन के संबंध में विद्यमान अनुदेशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों, जो डीसीसीबी/ एससीबी से ऋण प्राप्त करती हैं तथा जिनके पास शहरी सहकारी बैंक अपनी जमाराशियां रखते हैं, के द्वारा एसएलआर के रूप में इस प्रकार की जमाराशियों को गिनती में लेने के प्रयोजनार्थ प्राप्त की गई ऋण की राशि की कटौती जमाराशियों में से की जा सकती है, भले ही ऐसी जमाराशियों पर लीएन अंकित किया गया हो अथवा न किया गया हो। इस संबंध में अनुदेशों का पालन करने के लिए वेतन अर्जकों के कोऑपरेटिव बैंकों को 31 मार्च 2009 तक का समय विस्तार दिया गया है।
अक्तूबर	7	• अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि आरक्षित नकदी अनुपात 50 आधार अंक घटाकर 11 अक्तूबर 2008 के पखवाड़े की शुरुआत से उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत किया गया। • अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया कि 11 अक्तूबर 2008 के पखवाड़े की शुरुआत से आरक्षित नकदी अनुपात 50 आधार आंक घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत किया गया।
	10	• वैश्विक और घरेलू गतिविधियों के आलोक में चलनिधि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने पर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 11 अक्तूबर 2008 के पखवाड़े की शुरुआत से आरक्षित नकदी अनुपात 50 आधार अंक (9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत) घटाने के बजाय 150 आधार अंक घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत किया गया। • वैश्विक और घरेलू गतिविधियों के आलोक में चलनिधि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने पर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को सूचित गया कि 11 अक्तूबर 2008 के पखवाड़े की शुरूआत से आरक्षित नकदी अनुपात 50 आधार अंक (9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत) घटाने के बजाय 150 आधार अंक घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत किया गया।
	15	• सभी राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती बैंकों को सूचित किया गया कि एक से तीन वर्ष परिपक्वता वाले नए अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमा पर ब्याज दर सितंबर 2008 के अंतिम कार्यदिवस को तदनूरुपी परिपक्वता के अमरिकी डॉलर के लिबॉर / स्वैप दर जोड़ 100 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन वर्ष के जमा पर उपर्युक्त निर्धारित ब्याज दर तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि पार कर जाने पर भी लागू होगा। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई खातों पर भी लागू होगा जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकरण किया गया हो। • चलनिधि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने पर सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 11 अक्तूबर 2008 के पखवाड़े की शुरुआत से आरक्षित नकदी अनुपात 100 आधार अंक घटाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के 7.50 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत किया गया।
	16	• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि एक से तीन वर्ष परिपक्वता वाले नए अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमा पर ब्याज पर सितंबर 2008 के अंतिम कार्यदिवस को तदनुरुपी परिपक्वता के अमरिकी डॉलर के लिबॉट / स्वेप दर जोड़ 100 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन वर्ष के जमा पर उपर्युक्त निर्धारित ब्याज दर तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि पार कर जाने पर भी लागू होगा। ब्याज दरों में परिवर्तन उन एनआरई खातों पर भी लागू होगा जिन्हें वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकरण किया गया हो।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
अक्तूबर		• सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि भारत में 15 अक्तूबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से प्रभावी सभी परिपक्वता सौदों के विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों पर ब्याज दर का भुगतान संबंधित मुद्रा / तदनुरूपी परिपक्वता के लिए लिबॉर / स्वैप दर जोड़ 25 आधार अंक की उच्चतम दर के भीतर किया जाएगा। अस्थिर दर वाले जमा पर ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा / परिपक्वता जोड़ 25 आधार अंक के लिए स्वैप दर की उच्चतम सीमा के भीतर किया जाएगा। अस्थिर दर वाले जमा पर ब्याज पुनर्निधारित करने की अवधि छः महीने की होगी। • चलनिधि की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने पर सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 11 अक्तूबर 2008 के पखवाड़े की शुरुआत से आरक्षित नकदी अनुपात 100 आधार अंक बढ़ाकर उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं के 7.50 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत किया गया।
		ग) वित्तीय संस्थाएं
2007		
अप्रैल	20	• मीयादी ऋण और पुनर्वित्त देनेवालीसभी संस्थाओं को डेरिवेटिव पर व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। विनियामक दृष्टिकोण से किसी डेरिवेटिव संव्यवहारों के लिए प्रमुख आवश्यकताएं निर्धारित की गईं। इन मार्गदशी सिद्धतों में रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव से संबंधित वर्तमान अनुदेश भी शामिल थे।
मई	16	• अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री के संबंध में पहले जारी दिशानिर्देश में आंशिक संशोधन करते हुए मीयादी ऋण और पुनर्वित्त देने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि अनर्जक आस्तियों की खरीद / बिक्री के संबंध में तीन वर्ष के भीतर पूरी वसूली के अधीन अनुमानित नकद प्रवाह का कम से कम 10 प्रतिशत पहले वर्ष में वसूला जाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम से कम 5 प्रतिशत वसूला जाना चाहिए।
जुलाई	31	• चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एनएचबी, नाबार्ड, एक्जिम बैंक, सिडबी, टीएफसीआइ लि., आइएफसीआइ लि., आइआइबीआइ लि.) को सूचित किया गया कि सेबी ने फिम्डा को अनुमति दी है कि वह कार्पोरेट बांडों के लिए अपना रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करे। यह अनिवार्य बना दिया गया है कि इसके प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किये गये सौदे तथा वे जो उचित मूल्यवर्धन के साथ बीएससी और एनएसई को रिपोर्ट किये गये है उन्हें समूहित करें । फिम्मडा ने 1 सितंबर 2007 से अपने प्लेटफॉर्म को चालू करने का प्रस्ताव रखा है । सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 1 सितंबर 2007 से ओटीसी बाजार में कार्पोरेट बांडों में किये गये अपने द्वितीयक बाजार लेन-देन फिम्मडा के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें।
अगस्त	22	• सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि उधारकर्ताओं को ऋण मंजूर / संवितरित करते समय ऋण समझौते की एक प्रति और ऋण समझौते में दिखाए गए सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति उन्हें अनिवार्य रूप से दें।
2008		
मई	22	• 'अपने ग्राहक को जानिए' 'मानदंड' और 'धनशोधन निवारण उपाय' पर जारी पूर्व दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का प्रोफाइल तैयार करें। समय-समय पर जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह पुनः दोहराया गया कि संव्यवहार निगरानी प्रक्रिया के रूप में वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे समुचित अप्लीकेशन सॉफ्टवेअर प्रयोग में लाएं जो जोखिम वर्गीकरण और ग्राहक की अद्यतन प्रोफाइल के अननुरूप संव्यवहार होने पर सचेत करे।
जून	4	• यह पाया गया कि कई वर्षों से भारत सरकार ने समय-समय पर अनेक विशेष प्रतिभूतियाँ जारी की हैं जो वित्तीय संस्थाओं की एसएलआर अपेक्षाओं का पालन करने के प्रयोजन के लिए अर्हताप्राप्त नहीं हैं । ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों का नियंत्रण नियमों और शर्तों के एस अलग सेट द्वारा किया जाता है तथा उनके लिए अधिक अनकदी स्प्रेड की आवश्यकता होती है । यह निर्णय किया गया है कि मूल्यांकन के सीमित प्रयोजन के लिए हिताधिकारी संस्थाओं को सीधे ही भारत सरकार द्वारा जारी की गई सभी विशेष प्रतिभूतियों, जो एसएलआर स्टैटस की नहीं हैं, का मूल्यांकन भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर तदनुरूपी आय से 25 आधार अंक अधिक स्प्रेड पर किया जाए । यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2008-09 से लागू होगा ।
		घ) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
2007		
अप्रैल	4	• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे विज्ञापनों के बदले प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (वेबसाइट सहित) में दिए जाने वाले अपने विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि कंपनी के पास रिजर्व बैंक द्वारा जारी वैध पंजीयन प्रमाणपत्र है । किंतु, रिजर्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में या किसी भी विवरण की शुद्धता के लिए अथवा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिवेदनों अथवा व्यक्त की गई रायों और जमाराशि के पुनर्भुगतान/कंपनी की देयताएं पूरी करने के संबंध कोई जिम्मेदारी या गारंटी नहीं लेता है।
	24	• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों /विविध गैर-बैंकिंग कंपनियो (चिट फंड कंपनियां) (आरएनबीसी छोड़कर) द्वारा जनता की जमाराशि पर देय अधिकतम ब्याज दर संशोधित करके 12.5 प्रतिशत वार्षिक की गई। नई ब्याज जनता की नई जमाराशियों और परिपक्व हो चुकी जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगी।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
अप्रैल	25	• रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को सूचित किया गया कि वे तिमाही विवरण संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर एससीआर सी1(अधिप्राप्त, प्रतिभूतिकृत और पुनर्संरचित आस्ति पर विवरण) और एससीआरसी 2 (अधिप्राप्त, प्रतिभूतिकृत और पुनर्संरचित आस्ति का बैंक-वार का विवरण) प्रारूप में प्रस्तुत करें। ऐसा पहला विवरण 31 मार्च 2007 को समाप्त तिमाही के लिए भेजा जाना था।
	27	• एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया गया कि वे पूंजीगत निधि, जोखिम आस्ति अनुपात इत्यादि से संबंधित वार्षिक विवरण एनबीएस-7 फार्म में प्रत्येक वर्ष मार्च अंत में प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रणाली शुरू करें। ऐसा पहला विवरण 31 मार्च 2007 के वर्ष अंत के लिए प्रस्तुत किया जाना था। यह विवरण वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने की अवधि तक प्रस्तुत हो जाना चाहिए।
मई	8	• 20 करोड़ रुपए और इससे अधिक के आकार की जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया गया कि वे कारपोरेट गवर्नन्स और साथ ही लेखा-परीक्षा समिति, नामन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन पर अपने आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे संबद्ध उधार पर अनुदेशों और पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण प्रथाओं का पालन करें ।
	16	• पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए सभी एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया कि अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री के संबंध में तीन वर्ष के भीतर पूरी वसूली के अधीन अनुमानित नकदी प्रवाह का कम से कम 10 प्रतिशत पहले वर्ष में वसूला जाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम से कम 5 प्रतिशत वसूला जाना चाहिए।
	24	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कतिपय ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने के संबंध में प्राप्त अनेक शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सूचित किया गया था कि ब्याज दरें चाहे रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित हों या नहीं लेकिन फिर भी वे ब्याज दरें और प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों को निर्धारित करने के लिए उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे ऋण की शर्तों के संबंध में पारदर्शिता के बारे में निष्पक्ष व्यवहार संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखें।
	28	• प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा प्रतिभूति प्राप्ति की निवल आस्ति कीमत की घोषणा संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकृत कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को जारी किए गए।
जुलाई	2	• 30 जून 2007 तक के अद्यतन मार्गदर्शी सिद्धांत और गाइडेंस नोट प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्संरचना कंपनियों को जारी किए गए।
	11	• 8 मई 2007 के परिपत्र द्वारा कारपोरेट गवर्नन्स संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत सभी एनबीएफसी-डी जिनकी जमाराशि 20 करोड़ रुपए और अधिक है तथा सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को जारी किए गए। विभिन्न एनबीएफसी/एनबीएफसी संघ से प्राप्त सुझावों के आलोक में कनेक्टेड लेंडिंग से संबंधित अनुदेश सुझावों/ आशोधनों के अंतिम मूल्यां तक स्थगित रखे गए।
सितंबर	4	• जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी को सूचित किया गया कि 25 लाख रुपए और इससे ऊपर की शामिल राशि के एफएमआर-1 की प्रति रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत की जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में वह एनबीएफसी आती हो।
अक्तूबर	10	• 28 सितंबर 2006 को एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को उचित प्रथा संहिता तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए जिसमें 'ऋण मूल्यांकन तथा नियम/शर्तों' के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि एनबीएफसी को चाहिए कि वे वार्षिकीकृत ब्याज दर तथा उसके लगाने की विधि सहित स्वीकृति पत्र अथवा अन्यथा के माध्यम से स्वीकृत ऋण की राशि, उसके नियम एवं शर्तों सहित, की सूचना लिखित रूप में उधारकर्ता को दें तथा उधारकर्ता द्वारा स्वीकृत शर्तों की प्रति रिकार्ड में रखें। इस संबंध में एनबीएफसी को सूचित किया गया कि ऋण करार की एक प्रति, उसमें उल्लिखित सभी अनुलग्नकों सहित, सभी उधारकर्ताओं को उपलब्ध करवाएं।
नवंबर	22	• 2001 से पारस्परिक सुविधा वित्तीय कंपनी (अधिसूचित निधियां) तथा पारस्परिक सुविधा कंपनी (संभावित निधियां) संबंधी कार्य कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित किए जाते हैं। तदनुसार इन स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हुए पारस्परिक सुविधा वित्तीय कंपनियों पर यथाप्रयोज्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 को अद्यतन किया गया तथा ऐसी कंपनियों को उक्त विनियामवली से छूट दे दी गई। तथापि, यदि निधि की हैसियत प्रदान करने के लिए पारस्परिक सुविधा कंपनी (संभावित निधियां) के आवेदन को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अस्वीकृत किया जाता है तो ऐसी कंपनियों पर एनबीएफसी के लिए यथाप्रयोज्य उक्त निदेशावली लागू होंगी।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2007		
नवंबर	26	• क्रेडिट कार्ड धारकों से लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जनहित के एक मामले में की गई टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई)ने अवांछित वाणिज्य सूचना (यूसीसी) को रोकने के लिए दूरसंचार अवांछित वाणिज्य सूचना (यूसीसी) नियमावली, 2007 तैयार की। एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे इस संबंध में जारी अनुदेशों का कार्यान्वियन करें।
दिसंबर	14	• आरएनबीसी को जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय सूचित किया गया कि जमाराशि की अवधि पूर्णता पर यदि आरएनबीसी ब्याज सहित जमाराशि का भुगतान करने में असमर्थ हों तो वह विनियामवली में निर्धारित विधि के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी।
2008		
जनवरी	15	• केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंधक गारंटी कंपनियों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, बंधक गारंटी कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आइए (पंजीकरण की अनिवार्यता), धारा 45 आइबी (चलनिधि के रूप में आस्तियां बनाए रखना) तथा धारा 45 आइसी (आरक्षित निधि गठित करना एवं निवल लाभ का कुछ प्रतिशत उसमें अंतरित करना) से छूट दी गई है।
फरवरी	15	• बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण तथा परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तथा उन पर प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंड एवं निवेश संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।
मार्च	5	• भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियों / पुनर्संरचना कंपनियों को सूचित किया गया कि वे जिस आम सभा में लेखा परीक्षित परिणाम स्वीकृत किए जाते हैं उस तारीख से एक माह के अंदर लेखा परीक्षित तुलनपत्र की एक प्रति, निदेशकों/लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित, 31 मार्च 2008 से प्रारंभ करके प्रति वर्ष प्रस्तुत करें।
		• जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया कि वे 'लापरवाही तथा नकदी में कमीट तथा विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमितताओं के मामलों को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया जाए यदि ठगी/धोखाधड़ी का आशय का संदेह हो/प्रमाणित हो। किंतु, जिन मामलों में खोज के समय धोखाधड़ी का इरादे के संदेह/प्रमाण प्राप्त न हो; उन्हें धोखाधड़ी और सूचित माना जाएगा । इसमें 10 हजार रुपए से अधिक की नकदी की कमी के मामले और प्रबंधन/लेखापरीक्षक/निरीक्षक अधिकारी द्वारा पता लगाए गए और नकदी संभालने वाले व्यक्ति द्वारा घटना के समय सूचित न किए गए 5 हजार से अधिक की नकदी - कमी के मामले शामिल होंगे ।
अप्रैल	22	• निवेशकों को प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में आवश्यक सभी सूचनाओं के साथ निवेश करने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव दस्तावेज में प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा अपनी निहित आस्तियों के बास्केट की घोषणा में आस्तियों के अभिग्रहण की तारीख, आस्तियों का मूल्यांकन तथा एससी/आरसी की ब्याज दर संबंधी जानकारी एसआर जारी करते समय ही उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
मई	27	• एनडीएस-ओएम तक अप्रत्यक्ष पहुंच की सुविधा निवेशकों के अन्य खंडों अर्थात जमाराशि न लेनेवाली अन्य एनबीएफसी, कारपोरेटों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों को दी गई। इन संस्थाओं को प्रत्यक्ष एनडीएस-ओएम सदस्यों अर्थात बैंक तथा प्राथमिक व्यापारियों के जरिए सीएसजीएल रूट का उपयोग करके एनडीएस-ओएम पर अपना आदेश प्रस्तुत करने की अनुमति है।
जून	2	• गैर बैंक/गैर पीडी एनडीएस सदस्यों द्वारा किए गए सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के निपटारे की सुविधा के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार में 'बहु रूपाकार निपटान ' (एमएमएस) प्रणाली प्रारंभ की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत लेनदेनों का निधिवाले चरण का निपटान इन संस्थाओं द्वारा 'नामित निपटान बैंक' (डीएसबी) के रूप में चुने गए चुनिंदा वाणिज्य बैंकों में रखे निधि खातों के जरिए किया जाएगा।
	17	• सभी जमाराशि लेनेवाली एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति को उनकी निवल स्वाधिकृत निधि को बढ़ाकर न्यूनतम 200 लाख रुपए करने की दिशा में संतुलित उपाय सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम 200 लाख रुपए अथवा उससे कम निवल स्वाधिकृत निधि वाली एनबीएफसी-डी को सूचित किया गया कि वे उनके द्वारा धारित जमाराशि के वर्तमान स्तर को अचल कर दें। इसके अतिरिक्त न्यूनतम निवेश ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग तथा 12 प्रतिशत के सीआरएआर वाली एएफसी के लिए यह आवश्यक है कि वे सार्वजनिक जमाराशि के स्तर को घटाकर अपनी स्वाधिकृत निधि का 1.5 गुना तक लाए, जबकि अन्य सभी कंपनियां अपनी जमाराशि को संशोधित अधिकतम सीमा में निर्धारित किए अनुसार कम करे।
जुलाई	31	• एनबीएफसी को सूचित किया गया कि आस्थगित कर देयता (डीटीएल) लेखे में स्थित शेष राशि पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु टीयर I अथवा टीयर II पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र नहीं होगी क्योंकि ऐसी राशि पूंजी के रूप में माने जाने के लिए पात्र नहीं है।इसके अतिरिक्त आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) को अगोचर आस्तियों के रूप में माना जाएगा और इसे टीयर I पूंजी से घटाया जाना चाहिए।

परिशिष्ट : प्रमुख नीतिगत गतिविधियों की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख		उपाय
2008		
अगस्त	1	• जमाराशी स्वीकार करनेवाली सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया गया कि 31 मार्च 2009 तक उन्हें 12 प्रतिशत का सीआरएआर तथा 31 मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत का सीआरएआर प्राप्त कर लेना चाहिए। उनकी प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं तथा एएलएम रिपोर्टिंग मानदंडों में भी कुछ संशोधन किए गए ।
	14	• एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे उनकी सहायक कंपनियों तथा संबद्ध कार्यालयों/संयुक्त उद्यमों में हुई धोखाधड़ियों की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। तथापि, ऐसी धोखाधड़ी की जानकारी बकाया धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्टों तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टों में शामिल न की जाए। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि उधार खातों के संबंध में हुए धोखाधड़ी के बारे में अतिरिक्त जानकारी निर्धारित किए अनुसार एफएमआर-1 में प्रस्तुत की जाए।
सितंबर	15	• एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) को सूचित किया गया कि पूर्व की उपस्कर पट्टादायी/किराया खरीद एनबीएफसी को उनके उपयुक्त पुनर्वर्गीकरण के लिए 31 मार्च 2008 की स्थिति के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाणपत्र सहित संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से 31 दिसंबर 2008 तक संपर्क करना चाहिए। जो एनबीएफसी पुनर्वर्गीकरण के लिए निर्धारित तारीख तक आवेदन नहीं करती हैं उन्हें ऋण कंपनियों के रूप में माना जाएगा।
	24	• यह निर्णय लिया गया कि 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक तथा 100 करोड़ रुपए से कम की आस्ति आकार वाली जमाराशि स्वीकार न करनेवाली एनबीएफसी से तिमाही अंतरालों पर मूलभूत जानकारी मंगाई जाए। सितंबर 2008 को समाप्त तिमाही की ऐसी पहली विवरणी दिसंबर 2008 के पहले सप्ताह तक प्रस्तुत की जाए। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर ऐसे विवरणी तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकती है जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी आती है।
अक्तूबर	29	• कारोबार को बढ़ाने तथा विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्धित निधि के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि एनबीएफसी-एनडी-एसआइ कतिपय शर्तों के अधीन सतत ऋण लिखत (पीडीआइ) जारी करके अपनी पूंजी निधि में बढ़ोतरी कर सकती हैं।
	31	• यह निर्णय लिया गया कि अस्थायी उपाय के रूप में एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को कतिपय शर्तों, जैसे उधारकर्ता तथा उधारदाता की पात्रता, निधि का अंतिम उपयोग, परिपक्वता आदि, के अधीन अनुमोदन रूट के अंतर्गत अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार देने की अनुमति दी जाए।
		ङ) प्राथमिक व्यापारी
2007		
अप्रैल	20	• प्राथमिक व्यापारियों को डेरिवेटिव पर व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। विनियामक दृष्टिकोण से किसी डेरिवेटिव संव्यवहारों के लिए प्रमुख आवश्यकताएं निर्धारित की गईं। इन मार्गदर्शी सिद्धातों में रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव से संबंधित वर्तमान अनुदेश भी शामिल थे ।
जुलाई	31	• सभी प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया कि 6 अगस्त, 2007 से चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत दैनिक आरक्षित रिपो पर 3000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा वापस ले ली गई है। 28 नवंबर 2005 को शुरू और दैनिक आधार पर अपराह्न 3.00-3.45 के बीच की जाने वाली चलनिधि की दूसरी समायोजना सुविधा (एसएएलएफ) 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई। एकल चलनिधि समायोजन सुविधा विंडो के रूप में बैंक पूर्वाह्न 9.30 और 10.30 के बीच चलनिधि समायोजन सुविधा का उपयोग करना जारी रखेंगे।
अगस्त	23	• सभी प्राथमिक व्यापारियों को सूचित किया गया कि भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड ने काउंटर पर (ओटीसी) ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए एक रिपोर्टिंग प्लेटफार्म विकसित किया है जो काउंटर पर ब्याज दर डेरिवेटिव (आइआरएस) / एफआरए का स्थान लेगा। सभी प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षित था कि वे अपने सभी आइआरएस / एफआरए सौदे होने के समय से 30 मिनट के भीतर इसकी जानकारी रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर दें। प्राथमिक व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बकाए आइआरएस / एफआरए करार (ग्राहक सौदों को छोड़कर) 15 सितंबर 2007 तक रिपोर्टिंग प्लेफार्म पर हस्तांतरित किए गए हैं।
नवंबर	14	• सरकारी प्रतिभूति बाजार के सभी प्राथमिक व्यापारियों और विभागीय रूप में प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि हमीदारी वायदा और चलनिधि आधार में संशोधन किया गया। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त प्रतियोगी हामीदारी (एसीयू) नीलामी में प्रत्येक प्राथमिक व्यापरी के लिए बोली लगाने की न्यूनतम आवश्यकता अब से रिजर्व बैंक द्वारा घोषित न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि के समतुल्य होगी।
2008		
जनवरी	1	• जब जारी संव्यवहारों के कवर लेग के संबंध में अनुमति दी गई क इसे निगोशिएटेड डीलंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग प्लेफार्म अर्थात टेलीफोन बाजार के जरिए, से भी बाहर करने की अनुमति दी जाए ।
अक्तूबर	20	• चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत नियत रिपो दर 100 आधार अंक घटाकर तत्काल प्रभाव से 9.00 प्रतिश से 8.00 प्रतिशत किया गया। तदनुसार, 20 अक्तूबर 2008 से द्वितीय एलएएफ के तहत के रिपो और विशेष मीयादी रिपो 8.0 प्रतिशत की संशोधित दर पर आयोजित किए जाएंगे ।